कृषि | विश्लेषण | जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

पौष–माघ 2079, जनवरी 2023

स्वदेशी गतिविधियां

स्वावलंबी भारत अभियान

जिला रोजगार सृजन केंद्र

सचित्र झलक

बाबू गेनू बलिदान दिवस

स्वदेशी पत्रिका

अ नु क्र म

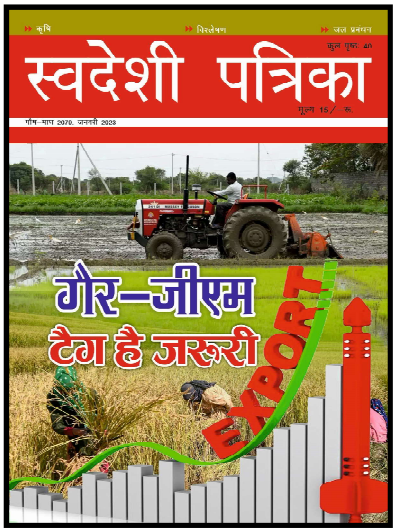

वर्ष–31, अंक–1
पौष–माघ 2079 जनवरी 2023

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा / उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **35-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा – पृष्ठ–06
गैर–जीएम टैग है जरूरी
डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 वित्तीय
आंकड़ों में दिखा अंतर्विरोधों का इंद्रधनुषी रंग ..... अनिल तिवारी

10 विश्लेषण
चीन के खिलाफ नए संरेखण की आवश्यकता है ..... के.के. श्रीवास्तव

12 महिला
महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती क्रूरता ..... डॉ. जया कक्कर

14 जैव विविधता
कारगर जैव विविधता तंत्र से बचेगी दुनिया ..... देविन्दर शर्मा

16 आजकल
स्वावलंबन से दूर होगी बेरोजगारी ..... स्वदेशी संवाद

18 बीच बहस
विनिर्माताओं द्वारा उत्पादों का मरम्मत योग्य प्रारूप ..... विनोद जौहरी

21 आर्थिकी
भारत के मूल्यों और सांस्कृति आधारित मॉडल से ही होगा दुनिया का विकास ..... अनिल जवलेकर

23 चिंतन
तीसरा विकल्प – खोज जारी है... ..... डॉ. धनपतराम अग्रवाल

25 बिजनेस
असफल हो रहा है बिजनेस का 'कैश वर्निंग मॉडल' ..... स्वदेशी संवाद

27 जल प्रबंधन
अमृत सरोवर योजना ..... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

29 बीच–बहस
भारत के आर्थिक विकास में प्रवासी भारतीय कर रहे हैं महत्वपूर्ण योगदान ..... प्रहलाद सबनानी

31 जयंती
स्वतन्त्रता संग्राम के प्रमुख प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानन्द ..... हेमेंद्र क्षीरसागर

33 स्वदेशी
जरूरी हो गया है चीन का बहिष्कार ..... अमोल पुसदकर

पाठकनामा

प्रकृति से छेडछाड़ का ही नजीता है जोशी मठ

प्रकृति के साथ मनुष्य का संबंध शरीर और आत्मा के जैसा रहा है। प्रकृति ने हमेशा सृष्टि में विद्यमान अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य जाति का भी पोषण किया है। लेकिन अतिरिक्त सुख की चाह में मनुष्य निरंतर प्रकृति के साथ अलग–अलग प्रयोग भी करता रहा है। आज जो वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की समस्या दिखाई दे रही है उसमें प्रकृति के साथ मनुष्य की छेड़छाड़ की भी भूमिका अहम है। विकास के नाम पर मनुष्य इतना कुछ अप्राकृतिक भी करता रहा है कि जल, जंगल और जमीन खतरे में दिखाई देने लगे हैं। पहाड़ों को लगातार छेदने, काटने, जहां–तहां सुरंग बनाने, सड़के विकसित करने का ही खामियाजा है कि आज उत्तराखंड का जोशी मठ उजाड़ होने की स्थिति में आ पहुंचा है। सदियों से जिन नागरिकों की भावनाएं जोशी मठ की भूमि से जुड़ी रही है अगर उनका सामूहिक पलायन होता है तो इसकी भरपाई कैसे हो सकती है। यह सब कोई एकाएक एक दिन में होने वाली घटना नहीं है। इसके पीछे निरंतर प्रकृति के दोहन और उससे होने वाले क्षरण का नतीजा है। हम प्रकृति के संकेतों की सरासर अनदेखी करते हुए अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। देश के हर हिस्से में पर्यावरण की समस्या है। जिस तरह भोजन को राजनीतिक दलों ने अपना हथियार बना रखा है, अब उसी तर्ज पर पर्यावरण संबंधी मामलों में भी राजनीति करने वालों को वोट दिखाई देने लगा है। अभी हाल में हुए दिल्ली नगर निगम चुनाव में कूड़ा सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। दिल्ली के हर कोने में कूड़ों का पहाड़ है। राजनीतिक दलों ने कूड़ा हटाने के नाम पर मतदाताओं के वोट हासिल कर लिए, लेकिन उस कूड़े को हटाने के लिए अभी तक कार्य योजना सामने नहीं आई है। इसी तरह पराली जलाने के मामले पर भी किसी भी राज्य सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सिर्फ बयानबाजी ही हो रही है। दिल्ली की हवा दम घोटू हो चुकी है। यहां का पानी पीने लायक नहीं रह गया है, आम आदमी भी अब खरीद कर पानी पी रहा है। आखिर जब तक हम प्रकृति के साथ मिलकर रहना नहीं सीखेंगे तो पर्यावरण कैसे ठीक होगा। आज एक जोशीमठ पर खतरा उभर कर आया है, आने वाले दिनों में देश के हर हिस्से में जोशी मठ दिखने लगेंगे।

डॉ. पराक्रम सिंह, धुंधरी, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

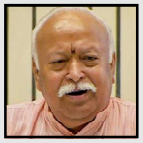

यह सरल सत्य है कि हिन्दुस्तान को हिन्दुस्तान ही रहना चाहिए। आज भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। इस्लाम को कोई भय नहीं है। लेकिन साथ साथ यह भी जरूरी है कि मुसलमान अपनी श्रेष्ठता से जुड़े बड़बोले बयानों को छोड़ें।

डॉ. मोहन भागवत, सरसंघचालक, रा.स्व.संघ

भारतीयों के लिए पूरा संसार ही स्वदेश है। इसी विचार की बुनियाद पर हमारे पूर्वजों ने भारत की संस्कृति को आकार दिया था। हम दुनिया भर में गए। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा को शुरू किया। आज अपने करोड़ों प्रवासी भारतीयों को देखते हैं तो उसमें वसुधैव कुटुम्बकम् के दर्शन होते हैं। भारत के अलग–अलग प्रांतों, क्षेत्रों के लोग जब मिलते हैं तो एक भारत, श्रेष्ठ भारत का अनुभव होता है।

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्ति रूप से जोशी मठ की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस संकट की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ जोशीमठवासियों के साथ खड़ी है।

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

संपादकीय

वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना का आग़ाज़

भारत 1 दिसंबर 2022 से दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली एवं प्रभावशाली राष्ट्रों के समूह जी–20 की अध्यक्षता का कार्यभार संभाल रहा है। गौरतलब है कि दुनिया की 85 प्रतिशत जीडीपी जी–20 देशों से आती है और विश्व की कुल जनसंख्या का दो तिहाई इन देशों में निवास करता है। यही नहीं विश्व के कुल व्यापार का 75 प्रतिशत हिस्सा जी–20 देशों के पास है। आज पूरी दुनिया कोरोना के बाद की चुनौतियों से तो जूझ ही रही है, फरवरी 2022 से चल रहे रूस–यूक्रेन युद्ध के कारण एक ओर आवश्यक खाद्य सामग्री की कमी कई देशों में महसूस की जा रही है, और दूसरी ओर पिछले 30 वर्षों से चल रहे अंधाधुंध भूमंडलीकरण के प्रति भी देशों का मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया के विभिन्न देश आज आत्मनिर्भरता की बात करने लगे हैं और साथ ही साथ 'ग्लोबल वैल्यू चेन' जैसी अवधारणाएँ भी अब महत्व खोती जा रही हैं। पूरा विश्व आज मंदी, जीडीपी में संकुचन और बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है। इसके साथ ही साथ दुनिया के समक्ष जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती जितनी बड़ी है उसकी तुलना में इससे निपटने के लिए प्रयास अत्यधिक अनमने और आधे–अधूरे दिखाई दे रहे हैं। अपने वचन के अनुरूप जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु वित्तीय सहयोग देने से विकसित देश कतरा रहे हैं और यही नहीं वे इससे निपटने हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तक करने के लिए भी तैयार नहीं है। यूं तो जी–20 के अंतर्गत तमाम प्रकार के मुद्दे चर्चा में आ सकते हैं, लेकिन यदि भारत कुछ ऐसे मुद्दों जो वैश्विक चुनौतियों और भारत समेत विकासशील देशों के मद्देनजर अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करवाने में सफल होता है तो यह भारत के लिए ही नहीं दुनिया भर के देशों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा वैश्विक संस्थाओं की पुनर्रचना का है। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद आस्तित्व में आए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिनमें विकसित देशों का वर्चस्व अभी भी बना हुआ है, में आमूलचूल बदलाव करने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ आज जब वैश्विक मंचों पर ग्लोबल वार्मिंग के सर्वाधिक दोषी अमरीका और यूरोपीय देश जलवायु परिवर्तन के समाधान हेतु वित्तीय सहयोग से मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस मुद्दे को अंतिम परिणति तक पहुंचाना, मानवता के आस्तित्व के लिए एक बड़ा कदम होगा और इसके लिए इस वर्ष में किए जाने वाले जी–20 के अंतर्गत किए जाने वाले प्रयासों की एक बड़ी भूमिका होगी।

गौरतलब है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता के बाद अगले दो वर्षों में क्रमशः ब्राजील और साऊथ अफ्रीका जी–20 की अध्यक्षता संभालेंगे। ऐसे में भारत, ब्राजील और साऊथ अफ्रीका की तिकड़ी विकासशील देशों से संबद्ध समस्याओं और उनके समाधान की ओर आगे बढ़ने का एक अभूतपूर्व अवसर है। इसके द्वारा भारत को न केवल विकासशील देशों की सशक्त आवाज बनना होगा, बल्कि विकासशील देशों के बीच अपनी भूमिका को पुनः परिभाषित करने का भी यह सुअवसर होगा। हाल ही में जी–20 के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे एक महान अवसर बताते हुए यह कहा है कि हम इस अवसर का उपयोग विश्व कल्याण के लिए करना चाहते हैं। विश्व शांति, विश्व एकता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और सतत विकास इन सब चुनौतियों का सामना करने और इनका हल निकालने हेतु भारत के पास विचार भी है और क्षमता भी। यदि देखा जाए तो विश्व की अधिकांश समस्याओं का समाधान संभव है, लेकिन उसके लिए सोच में बदलाव की जरूरत है। इतिहास गवाह है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर वैमनस्य, दूसरे मुल्कों से आगे बढ़ने की होड़, विस्तारवादी सोच दुनिया में टकराव का कारण बनती रही है। ऐसे में जी–20 देशों का नेतृत्व संभाल रहे भारत ने दुनिया को एक संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इतिहास में संसाधनों पर कब्जा जमाने हेतु संघर्ष और प्रतिस्पर्द्धा की रणनीति ही अपनाई गई। हमने देखा है कि विभिन्न देश अभी भी दूसरे देशों की जमीन और संसाधान हथियाने की मानसिकता से ग्रस्त है। जरूरी चीजों पर कब्जा जमाकर उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि कोरोना काल में हमने देखा कि कैसे कुछ लोगों ने वैक्सीन पर कब्जा जमाकर रखा, जबकि अरबों लोग वैक्सीन से वंचित रह गये। भारत की परंपरागत सोच यह रही है कि सभी जीव पांच तत्वों भूमि, जल, अग्नि, वायु व आकाश से मिलकर बने हैं और सभी जीवों में समन्वय और समरसता हमारे भौतिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय कुशल क्षेम के लिए जरूरी है। भारत, जी20 की अध्यक्षता के दौरान इसी सार्वभौमिक एकात्मकता के लिए कार्य करेगा। 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' का हमारा ध्येय वाक्य यही इंगित करता है। यह कोई मात्र नारा नहीं है, यह पिछले कुछ समय से मानवीय परिस्थितियों में आये हुए परिवर्तनों के संदर्भ में जरूरी बात है जिसे हमें समझना होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री का कहना है कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारियों जैसी चुनौतियों से आपस में लड़कर नहीं, बल्कि आपस में मिलकर निपटा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी प्राथमिकताएं 'एक पृथ्वी' के उपचार, परिवार में समसरता के निर्माण और एक भविष्य हेतु आशा के निर्माण पर केंद्रित होगी। पृथ्वी के उपचार हेतु भारत की प्र.ति के प्रति ट्रस्टीशिप की परंपरा पर आधारित स्थायी एवं पर्यावरण समर्थक जीवन शैली को हम प्रोत्साहित करेंगे। प्रधानमंत्री का कहना है कि जी–20 का एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्य–उन्मुख और निर्णायात्मक होगा। इसके लिए हम सबको मिलकर एक नये आदर्श–मानव केंद्रित भूमंडलीकरण के निर्माण हेतु मिलकर काम करना होगा।

गैर–जीएम टैग है जरूरी

हाल ही में अमरीकी विदेशी व्यापार प्रतिनिधि ने विश्व व्यापार संगठन में शिकायत की है कि भारत में 'जैव संवर्धित' (जीएम) आयातों पर लगी रोक के कारण अमरीकी निर्यातों को नुकसान हो रहा है। गौरतलब है कि भारत ने खाद्य आयातों के संदर्भ में गैर–जीएम उत्पाद के प्रमाण पत्र की अनिवार्यता रखी है। उनका कहना है कि विश्व व्यापार संगठन भारत को आदेश दे कि वह जीएम आयातों पर लगी रोक को हटाये ताकि अमरीका अपने जीएम खाद्य पदार्थों को भारत में भेज सके। गौरतलब है कि दुनिया के कुछ ही देशों में जीएम उत्पादों के उत्पादन की अनुमति है, जिसमें अमरीका का स्थान पहला है।

अमरीका का कहना है कि इस कारण अमरीका से चावल और सेब के निर्यात नहीं हो पा रहे। उनका कहना है कि इस प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को हटाया जाये। भारत के खाद्य नियामक, एफएसएसएआई, ने 1 मार्च 2021 से भारत को खाद्य निर्यात करने वाले देशों का नॉन जीएम का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। अमरीका का कहना है कि इस आदेश का औचित्य नहीं बताया गया है। गैर–जीएम प्रमाण पत्र को औचित्यपूर्ण ठहराने के लिए इसका वैज्ञानिक आधार होना चाहिए और इसका जोखिम मूल्यांकन होना भी जरूरी है।

दूसरी तरफ हाल ही में नाटकीय ढंग से भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति ने जीएम सरसों के व्यवसायिक उत्पादन की ओर आगे बढ़ते हुए, उसके पर्यावरणीय प्रदर्शन की संस्तुति की है, जिसे मंत्रालय ने भी समर्थन दिया है। इसका विरोध करने वालों का यह कहना है कि यदि भारत में खाद्य पदार्थों में जीएम को अनुमति दे दी जाती है तो देश से खाद्य पदार्थों के निर्यात में बाधा आने की भारी आशंका तो है ही, देश में जीएम वस्तुओं के आयातों को, जो किसी प्रकार से अभी तक रोका गया था, अब उसकी रोक भी हट जायेगी और देश में जीएम आयातों की बाढ़ भी आ सकती है।

समझना होगा कि भारत आज खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर हो चुका है। खाद्य तेलों और कुछ मात्रा में दालों को छोड़, अतिरिक्त शेष सभी खाद्य पदार्थों, खाद्यान्न, फल–सब्जी, दूध एवं दूध के उत्पाद, अंडे, मांस इत्यादि सभी का देश में पर्याप्त उत्पादन होता है। यही नहीं भारत से आज लगभग 50 अरब डालर की खाद्य वस्तुओं का निर्यात भी भारत से हो रहा

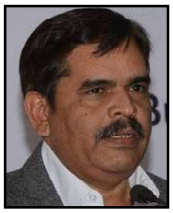

जीएम खाद्यों को अनुमति दिये जाने से भारत के निर्यात प्रभावित होंगे और जीएम आयात बढ़ जायेंगे, किसानों को भारी नुकसान होगा, बल्कि विश्व में बढ़ रही गैर–संचारी रोग (एनसीडी) को रोकने हेतु प्रयासों को भी भारी धक्का लगेगा।

– डॉ. अश्वनी महाजन

है। कई बार भारत के खाद्य निर्यातों की कई खेपों को कुछ देशों द्वारा यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि उनमें उन देशों में प्रतिबंधित कीटनाशकों की सीमा से अधिक मात्रा पाई गई। लेकिन एक बार तो यह भी हुआ कि मध्य पूर्व एशिया में भेजे गये हमारे निर्यातित चावल की खेप तो इस कारण से अस्वीकार हो गई थी कि उनमें जीएम चावलों का मिश्रण मिला।

वर्ष 2021 के अक्टूबर माह में यूरोपीय संघ के 'रेपिड़ एर्ल्ट सिस्टम' की एक विज्ञप्ति के अनुसार 'मार्स रिगले' नामक कंपनी द्वारा 'क्रिप्सी एमएंडएम' नाम की प्रसिद्ध कैंडी को यूरोप भर से वापिस इसलिए मंगाना पड़ा, क्योंकि उनमें जीएम चावल के अंश पाये गये और इनका उद्भव भारत से बताया गया। हालांकि वाणिज्य मंत्रालय का यह कहना था कि भारत में तो जीएम चावलों का उत्पादन ही नहीं होता है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन किसानों का मानना है कि चूंकि चावल में जीएम के फील्ड ट्रायल चल रहे हैं, इसलिए संभव है कि इस कारण वे दूसरे चावलों के बीज उनसे प्रदूषित होने के कारण उनमें जीएम के अंश आ गये हों। तबसे यूरापीय देश भारत से चावलों के आयातों के प्रति अधिक आशंकित और सजग हो रहे हैं। स्वभाविक ही है कि यूरोप के नियमों के अनुसार 'जीएम टैग' के उत्पादों को तो सिरे से अस्वीकार कर दिया जायेगा।

भारत के खाद्य निर्यात और आयात

भारत से हर वर्ष लगभग 4 लाख करोड़ रूपये के खाद्य निर्यात होते हैं, जिनमें से कुछ निर्यात प्रोसेस्ड खाद्य के हैं और अधिकांश खाद्य कृषि जिंसों के हैं। ये खाद्य निर्यात दुनिया के लगभग 40 देशों को निर्यात किये जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज 26 देशों में तो जीएम प्रतिबंधित है, और विशेष बात है कि ये देश भारत से बड़ी मात्रा

भारत दुनिया में खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण देश है, जो जीएम खाद्य से तो मुक्त है ही, सरकारी और गैर सरकारी उपायों के कारण जैविक खेती में भी काफी आगे बढ़ रहा है।

में खाद्य आयात करते हैं। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि भारत में खाद्य पदार्थों में जीएम के प्रवेश होते ही, ऐसे देश (यूरोप, मध्य पूर्व एशियाई देश, मैक्सिको, रूस आदि) भारत के खाद्य निर्यातों से आशंकित हो जायेंगे और उन देशों को हमारे निर्यात बंद हो सकते हैं।

दूसरी तरफ खाद्य वस्तुओं के अतिरेक वाले अमरीका, कनाड़ा, आस्ट्रेलिया एवं अन्य देश जो जीएम मुक्त देशों को निर्यात नहीं कर पाते, वे भारत में अपना सामान डंप करने की राह देख रहे हैं। यदि भारत में खाद्य पदार्थों में जीएम की अनुमति दी जाती है तो उन देशों की भारत में निर्यात की राह आसान हो जायेगी।

यानि समझा जा सकता है कि जीएम को अनुमति देने से भारत को दोहरी मार पड़ सकती है। एक तरफ हमारे निर्यातों का रास्ता जीएम मुक्त देशों के लिए बंद हो जायेगा और दूसरी तरफ जीएम उत्पादक देश भारत में आसानी से अपने उत्पाद बेच पायेंगे। यानि एक तरह हमारी विदेशी मुद्रा की आमदनी घटेगी तो दूसरी ओर जीएम आयातों के बढ़ने से विदेशी मुद्रा का खर्च बढ़ेगा। लिहाजा भारत के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा पर दोहरी मार पड़ सकती है।

किसान पर भी दोहरी मार

जहां जीएम के समर्थक यह तर्क दे रहे हैं कि जीएम को अनुमति से किसानों को बहुत फायदा होने वाला है और उसकी आमदनी बढ़ेगी। लेकिन यदि जीएम को अनुमति से भारत के खाद्य निर्यात घटते हैं और खाद्य आयात बढ़ जाता है तो केवल विदेशी मुद्रा की ही हानि नहीं होगी, बल्कि किसानों को भी इसका भारी आर्थिक नुकसान उठाना पडेगा। भारत से खाद्य निर्यातों से किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिल पाता है। देश से चावल, गेहूं, मसालें, सब्जी, फल आदि के निर्यात लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे उचित कीमत मिलने से किसानों के संकट को थोड़ा कम किया जा सका है।

साथ ही साथ अमरीका एवं अन्य जीएम उत्पादक देशों से खाद्य आयात बढ़ने के कारण किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत मिलना कठिन होता जायेगा। गौरतलब है कि जीएम उत्पादक देश, कृषि में भारी सब्सिड़ी देने के लिए भी जाने जाते हैं। सब्सिड़ी युक्त वस्तुओं के आयात से भारत में आयतित वस्तुओं की बाढ़ आ सकती है, जिससे कृषि लाभकारी नहीं रह पायेगी।

भारत पर दायित्व

भारत दुनिया में खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण देश है, जो जीएम खाद्य से तो मुक्त है ही, सरकारी और गैर सरकारी उपायों के कारण जैविक खेती में भी काफी आगे बढ़ रहा है। गैर जीएम खाद्यों के साथ–साथ बड़ी मात्रा में जैविक उत्पादों का भी निर्यात किया जा रहा है। जीएम उत्पादों के कारण बढ़ते स्वास्थ्य खतरों के मद्देनजर, जैविक समेत स्वस्थ खाद्य पदार्थों के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। ऐसे में जीएम खाद्यों को अनुमति दिये जाने से भारत के निर्यात प्रभावित होंगे और जीएम आयात बढ़ जायेंगे, किसानों को भारी नुकसान होगा, बल्कि विश्व में बढ़ रही गैर–संचारी रोग (एनसीडी) को रोकने हेतु प्रयासों को भी भारी धक्का लगेगा। ❑❑

आंकड़ों में दिखा अंतर्विरोधों का इंद्रधनुषी रंग

कवि राधेश्याम तिवारी की एक कविता है– न्यूटन ने यह तो बताया कि सेव ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, लेकिन नीचे वालों को मिलता क्यों नहीं यह कौन बताएगा?

अर्थव्यवस्था के स्याह पहलुओ के बीच से एक बेहतर भारत बनाने की जद्दोजहद के बीच बने वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) संग्रह की हालिया उछाल अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर प्रस्तुत करती है, पर लगे हाथों सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी (सीएमआईई) द्वारा जारी बढ़ती बेरोजगारी का आंकडा नौकरी की तलाश कर रहे ग्रामीण और शहरी युवाओं के पुरसुकून होने की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है। वित्त विभाग के मुताबिक दिसंबर 2022 में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 15 प्रतिशत बढ़कर 1.49 लाख करोड़ से भी अधिक का हो गया है। इससे बेहतर कर अनुपालन के साथ–साथ निर्माण में सुधार एवं खपत में तेजी के संकेत मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीएमआईई का दावा है कि भारत में दिसंबर महीने में बेरोजगारी की दर बढ़कर 8.3 प्रतिशत हो गई है। बेरोजगारी दर का यह आंकड़ा पिछले 16 महीनों में सबसे ज्यादा है। यह हमारी अर्थव्यवस्था की समावेशी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करता है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि 'एक देश–एक कर' के नारे के तहत जीएसटी के कार्यान्वयन से भारत विश्व भर में आकर्षक कारोबारी गंतव्य के रूप में उभरा है। इस व्यवस्था ने भारत के लगभग 140 करोड लोगों के लिए साझा बाजार की अवधारणा को साकार कर दिया है। अनेक अप्रत्यक्ष करों का जीएसटी में बिलयन कर दिया गया है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों तथा समाज के सभी वर्गों की बेहतरी के लिए वस्तु एवं सेवा कर एक जुलाई 2017 से ही देश में लागू है। जीएसटी प्रणाली के जरिए कर जटिलताओं को कम से कम किए जाने के कारण उद्यमशीलता को लगातार प्रोत्साहन मिला है। ज्ञात हो कि जीएसटी लागू होने के पहले कारोबारी प्रवर्तको, विनिर्माताओं और उत्पादकों को विभिन्न विभागों का चक्कर लगाना पड़ता था तथा 30 प्रतिशत तक केंद्रीय व राज्य करों का भुगतान करना होता था,लेकिन अब कारोबारियों को मात्र 18 से 22 प्रतिशत तक ही करों का भुगतान करना होता है। ऑनलाइन

जीएसटी प्रणाली के जरिए कर जटिलताओं को कम से कम किए जाने के कारण उद्यमशीलता को लगातार प्रोत्साहन मिला है।

– अनिल तिवारी

भुगतान की सुविधा हो जाने से व्यापारियों को आए दिन के उत्पीड़न से भी निजात मिल गई है। उद्योगों में छोटे बड़े का भेद कम हुआ है जिसके चलते व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इससे माइक्रो मीडियम और स्माल सभी तरह के उद्योगों के लिए संभावनाएं खुल गई हैं।

उद्यमों में गतिशीलता आने के कारण कर संग्रह भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2022 में लगातार पिछले 10 महीने से कर संग्रह के रूप में राजस्व 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। वित्त मंत्रालय ने अपने ताजा बयान में बताया है कि दिसंबर 2022 के दौरान सर्कल जीएसटी राजस्व 149507 करोड रुपए का रहा है। इसमें जीएसटी 26700 करोड़ रुपए एसजीएसटी 33757 करोड रुपए आईजीएसटी 78434 करोड रुपए (माल के आयात पर एकत्र 40362 करोड़ रुपए सहित) और उपकर 11500 करोड़ रुपए (माल के आयात पर एकत्र 850 करोड रुपए सहित) है। इस तरह दिसंबर 2022 में राजस्व संग्रह सालाना आधार पर 15 प्रतिशत अधिक है क्योंकि पिछले साल इसी अवधि में जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपए तक ही रहा था। इस दौरान सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी सीजीएसटी में 36669 करोड रुपए और एसजीएसटी में 31094 करोड रुपए का निपटान किया है। दिसंबर 2022 में नियम नियमित निपटान के बाद केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 63380 करोड रुपए और एसजीएसटी के लिए 65451 करोड रुपए है।

दिसंबर महीने का कर संग्रह नवंबर की तुलना में अधिक है लेकिन पिछले अक्टूबर की तुलना में कम है। अक्टूबर महीने का जीएसटी संग्रह 1.52 लाख करोड़ रुपए का था। अक्टूबर में त्योहारी सीजन के कारण खरीददारी भी ज्यादा हुई थी मार्केट में डिमांड थी और उत्पादन

उद्यमों में गतिशीलता आने के कारण कर संग्रह भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2022 में लगातार पिछले 10 महीने से कर संग्रह के रूप में राजस्व 1.40 लाख करोड़ रु. से अधिक रहा है। वित्त मंत्रालय ने अपने ताजा बयान में बताया है कि दिसंबर 2022 के दौरान सर्कल जीएसटी राजस्व 149507 करोड रु. का रहा है।

भी ज्यादा हुआ था। मांग में तेजी और कच्चे माल के दामों में कमी से लागत कम होने के चलते नवंबर महीने से देश में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में गतिविधियां बढ़ गई थी, जिसका परिणाम दिसंबर महीने के आकलन में दिख रहा है। एस एंड पी ग्लोबल इंडिया के सर्वे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कार्यरत कंपनियां आने वाले समय में तेजी की संभावनाओं को लेकर काफी आश्वस्त हैं।सर्वे में शामिल कंपनियों ने भरोसा जताया है कि उनके उत्पादों की मांग की तेजी बनी रहेगी तथा साल 2023 में उत्पादन बढ़ाने की उनकी क्षमता भी अच्छी रहेगी। हाल के दिनों में सकारात्मक धारणा का स्तर जो दिखा है वह पिछले 8 साल में सर्वाधिक है।

अब बात करते हैं सीएमआईई के आंकड़ों की। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में दिसंबर महीने में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.3 प्रतिशत हो गई है यह आंकड़ा पिछले 16 महीनों में सबसे ज्यादा है। नवंबर महीने में यह आंकड़ा 8 प्रतिशत का था। हालांकि आंकड़ों में बेरोजगारी के दर के बढ़ने के साथ–साथ श्रम भागीदारी बढ़ने की उलटबांसी भी शामिल है। दिसंबर महीने में श्रम भागीदारी 40 प्रतिशत तक बढ़ी है जो 12 महीनों के सबसे ज्यादा ऊंचा स्तर पर है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ग्रामीण बेरोजगारी के बरक्स इस महीने शहरी बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई है। याद कीजिए कुछ महीने पहले ही इलाहाबाद में अचानक हजारों छात्र रोजगार के सवाल पर ताली थाली बजाते आधी रात को सड़कों पर उतर आए थे। मनमोहन सरकार के दौर में जॉबलेस ग्रोथ से रोजगार के सवाल पर युवाओं में बढ़ती बेचैनी को भापते हुए वर्ष 2013 में वर्तमान प्रधानमंत्री ने इसे जोर–शोर से उठाया था। युवा आबादी के हर हाथ को काम देने की बात कही गई थी। लेकिन हर तरह के आंकड़े गवाह हैं कि 3 दशक के नवउदारवादी अर्थनीति के सबसे बड़े शिकार रोजगार के अवसर ही हुए हैं।

बहरहाल आंकड़ों के आईने में एक ही समय में कर संग्रह का आकार बढ़ने और रोजगार के अवसर कम होने की पेश तस्वीर आसानी से गले उतरने वाली नहीं है। क्या इन दोनों के बीच कोई सरल संबंध हो सकता है? सुगम मांग और पूर्ति के कारण उद्योग का पहिया रफ्तार से घूमा है इसलिए जीएसटी संग्रह को लेकर कोई संदेह का कारण नहीं है, लेकिन न्यूज़ एजेंसी राइटर के हवाले से आये सीएमआई ई के आंकड़े संशय पैदा करने वाले हैं। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ डॉ. अश्वनी महाजन की मानें तो सजावटी और बनावटी आंकड़ों के जरिए प्रभावित करने की बातें भी अब एक तरह से आम हो गई है।

हिंदी पट्टी की अधिकांश आबादी आज भी पेंचो को रामचरितमानस के सूत्रों से सुलझाने की आदी है। बाबा तुलसी ने लिखा है कि "दुई न होहि एक संग भुआलू, हंसब ठठाई फुलाईब गालू।" परंतु इस सूक्ति के उलट आंकड़ों में यह करिश्मा हुआ है। ऐसे में यह प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाता है कि किस आंख से हंसे और किस आंख से रोए। ❑❑

चीन के खिलाफ नए संरेखण की आवश्यकता है

आईए, एक पल के लिए समर्पित राष्ट्रवाद को एक तरफ रख दें तथा भारत और चीन के बीच तनातनी की कठोर वास्तविकताओं का सामना करें! भारत के विरुद्ध चीन के शत्रुता पूर्ण व्यवहार के दो तथ्य अपरिहार्य हैं। एक, उसके अपने विस्तारवादी मंसूबों और आंशिक रूप से वर्तमान घरेलू मजबूरियों के कारण। दूसरा, आर्थिक और सैन्य रूप से चीन और भारत के बीच शक्ति की विषमता के कारण। लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत ने चीन की आक्रामकता से अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं के साथ निपटा है। भारत ने अपनी सीमाओं को मजबूत कर लिया है। भारत ने घोषणा की है कि सीमा की स्थिति बहाल होने तक संबंधों का कोई सामान्यीकरण संभव नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने द्विपक्षीय आधार पर समझौते और क्वाड छतरी के नीचे अमेरिका के साथ अपने सहयोग को गहरा किया है।

भारत ने अपनी गतिविधियों से चीन को सतर्क और नाराज दोनों किया है, लेकिन भारत के लिए भू–राजनीतिक विकल्पों का विस्तार हुआ है। भारत एक ओर भारतीय क्षेत्रों में चीनी आक्रमणों के खिलाफ सार्वजनिक विश्व राय बनाने के लिए प्रभावी कदम उठा रहा है, और उसी समय में अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है। इसका उद्देश्य अंततः चीन के लिए भारत के सामने की सीमाओं पर आक्रामकता में शामिल होना अधिक महंगा बनाना है। ऐसा नहीं है कि संप्रभुता के नए सिद्धांत – और परिणामस्वरूप राष्ट्रीय लामबंदी के कारण राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व वाला चीन अपने सलामी स्लाइसिंग सामरिक हमलों को छोड़ देगा। भारत के लिए एकमात्र विकल्प यह है कि वह अपने पड़ोसी से सावधान रहे, उसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय राय तैयार करे और अपने शत्रु राष्ट्र के खिलाफ आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक शक्तियां बढ़ाए। हालांकि भारत इसे अकेले नहीं कर सकता। चीन के विकास में अस्थायी गिरावट के बावजूद, हमारे पड़ोस (दक्षिण एशिया) में चीनी प्रभाव बढ़ रहा है। वहां के देशों के साथ चीनी व्यापार बढ़ रहा है, वे बेल्ट एंड रोड पहल के तहत परियोजनाओं में गहराई से फंस रहे हैं, वे सभी संबंधित देश ऋण समस्या में फंस रहे हैं, वे सैन्य रूप से चीन के करीब हैं और कई बार अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चीनी राय को प्रतिध्वनित करते हैं। हम बहुत लंबे समय तक 'पूरब की ओर देखो' में विफल रहे। दूसरे शब्दों में एशिया में चीनी प्रभाव क्षेत्र बढ़ रहा है। ऐसे में एक बहुत ही प्रभावी प्रतिपक्ष उभारने की जरूरत है जो भारत के लाभ के लिए काम करे। गौरतलब सवाल यह भी है कि यूएस–चीनी संबंधों के बारे में क्या?

चीन एक दुर्जेय विरोधी है जिसके नापाक मंसूबों और कार्यों का कई मोर्चों पर मुकाबला करने की जरूरत है।

– के.के. श्रीवास्तव

जैसे–जैसे घटनाएँ सामने आ रही हैं, भले ही निकट भविष्य में नहीं, एक द्विध्रुवीय (अमेरिका और चीन) दुनिया के उभरने की प्रबल संभावना है। अगर ऐसा होता है तब अन्य देशों को हेजिंग, बैलेंसिंग और हैंड होल्डिंग के माध्यम से अपने हितों का ध्यान रखना होगा। ऐसे में अमेरिका और चीन चाहे टकराव का रुख अपनाएं या सहयोग का, यह भारत के पक्ष में नहीं है। यदि दोनों राष्ट्र लड़ते हैं, तो भारत इस तरह की प्रतिद्वंद्विता का खामियाजा भुगतेगा क्योंकि यह चीन के निकट पड़ोस में है जो हमारे खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाएगा। दूसरी ओर यदि अमेरिका चीन को अपने समकक्ष के रूप में स्वीकार करता है, तो उसे चीन द्वारा भारत के खिलाफ अपनी ताकत दिखाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। किसी भी तरह से भारत को बहुत सावधान रहना होगा।

हालाँकि, भारत के लिए कुछ सुकून देने वाले कारक भी हैं जो सुझाव देते हैं कि यह चीन है जिसका भारत की तुलना में विश्व मंच पर बड़ा दांव है। चीन की विश्वदृष्टि में भारत एक छोटा खिलाड़ी है। जबकि चीन चाहता है कि भारत चीनी प्रभुत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। यह उसकी बहुत पुरानी मंशा है, लेकिन फिलहाल एशिया के साथ–साथ विश्व रंगमंच पर – यह उसके लिए तत्काल चिंता का विषय नहीं है। फिलहाल चीन की मुख्य चिंता अमेरिका द्वारा चीन विरोधी गठबंधन बनाकर चीन को कमजोर करने की कोशिश है। अमेरिका उन सभी राष्ट्रों को एक साथ लाना चाहता है जो चीनी प्रभाव को – (आर्थिक और सैन्य रूप से) – स्वीकार नहीं करते हैं और इसके लिए सहयोग और समन्वय की इच्छा साझा करते हैं। वाशिंगटन अपनी आर्थिक नीतियों को विदेशी नीति और प्राकृतिक सुरक्षा चिंताओं के इर्द–गिर्द आकार दे रहा है। आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन किया जा रहा है, जहां चीन की भूमिका को कम करके आंका जाएगा। भारत को चीन प्लस वन पॉलिसी को खत्म करने के मौके का फायदा उठाना चाहिए। इस प्रकार, हमें अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण का लक्ष्य रखना चाहिए। इससे हमें अपनी सैन्य ताकत बनाने में भी मदद मिलेगी।

दो, चूंकि भारत इस साल जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, इसलिए चीन सीमा के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहेगा और खुद को पर्दे के पीछे छिपा कर रखना चाहेगा। यह केवल अमेरिका ही नहीं है जिसके बारे में चीन को चिंता करनी है। मास्को द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के लिए चीन के समर्थन ने महाद्वीप पर चीनी प्रभाव को कम करने के बारे में यूरोपीय चिंताओं को भी बढ़ा दिया है। इसके अलावा, भारत ने रूस और पश्चिम दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने की मांग की है। चीन रूस पर अपने पश्चिमी साझेदारों के साथ भारत के मतभेदों का लाभ उठाने में असमर्थ रहा है, न ही वह भारत और अमेरिका के बीच दरार पैदा कर सका है। इस प्रकार चीन को शीर्ष पर अकेलापन मिल सकता है।

हालाँकि, हमें चीनी सीमाओं के बारे में आँख बंद करके नहीं देखना चाहिए। अंतरिक्ष, स्वायत्त हथियार और समग्र साइबर क्षेत्र जैसी अपनी सैन्य शक्ति की रिपोर्टिंग करने वाली प्रौद्योगिकियों में चीनी क्षमताओं के विशाल विकास को देखने के लिए हमारी आँखें बंद करने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि चीन के पास एक सैन्य बल होने की संभावना है जो तकनीकी रूप से भारत से कहीं बेहतर है। यह भारतीय चुनौती को काफी बढ़ा देगा और शक्ति विषमता हमारे विरोधी के पक्ष में और अधिक संरेखित होगी। चीन को आक्रामक रुख अपनाने से रोकना भारत के लिए उत्तरोत्तर कठिन होता जाएगा। आधिपत्य की महत्वाकांक्षा, पड़ोसियों को डराने–धमकाने की प्रवृत्ति, चीन को सर्वोच्च बनाने की महत्वाकांक्षा और बढ़ती तकनीकी ताकत की एक बहुत ही घातक मिश्रित औषधि उसके पास है। जबकि भारत ने क्षमताओं को विकसित करके, नए संबंध बनाकर, अपने विश्व दृष्टिकोण को बदलकर और आर्थिक रूप से विकसित होकर इस मुद्दे को संबोधित किया है, हम संसाधन सीमाओं से विवश हैं। एकमात्र रास्ता अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे 'दोस्ताना' देशों के साथ द्विपक्षीय और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर नए संबंध बनाना है। भारत को एक प्रभावी निवारक रणनीति का पालन करना होगा जिसमें सामरिक गठजोड़ के नेटवर्क का निर्माण शामिल होना चाहिए।

पश्चिम में एक नए सिरे से यह अहसास हो रहा है कि आने वाले दिनों में असली खतरा चीन से आएगा। फलस्वरूप उन देशों द्वारा महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करने का सचेत प्रयास किया जा रहा है। भारत को भी यही करने की जरूरत है। दूसरा, पश्चिम, चीन की रणनीतिक प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को सीमित कर रहा है और समान विचारधारा वाले देशों के साथ नई साझेदारी की मांग कर रहा है। भारत को आगे आना चाहिए और इस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए। दूसरे शब्दों में, भारत को चीन के खिलाफ इस भावना का उपयोग अपने देश को आर्थिक और सैन्य रूप से बनाने के लिए अपने लाभ के लिए करना चाहिए। इसके अलावा, इसे चीनी डिजाइनों के खिलाफ जनमत का आधार तैयार करना चाहिए जो भारत और बाकी दुनिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ❑❑

महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती क्रूरता

दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुए 'निर्भया' के सामूहिक बलात्कार कांड ने हमारे देश की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। महिलाओं के खिलाफ आए दिन होने वाले अपराधों को कैसे रोका जाए, इस बारे में फिर से चर्चा शुरू हुई तथा यौन हमले की परिभाषा का विस्तार किया गया और बलात्कार के लिए सजा की मात्रा बढ़ा दी गई। 'टू फिंगर' परीक्षण (व्यवहार में भयावह होने के बावजूद इसे कभी बंद नहीं किया गया!) को बंद करने की मांग हुई। पुलिस द्वारा जल्द शिकायत दायर करने तथा त्वरित कानूनी कदम उठाने की भी मांग की गई।

लेकिन दस साल बाद भी हकीकत जमीन पर ज्यादा नहीं बदली है। 2021 में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख (4,28,278) से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। 2012 में यह आंकड़ा 2.5 लाख (2,44,270) से कम था। वास्तव में, ऐसे अनेक अपराध कई कारणों से रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं, जैसे रिपोर्टिंग से जुड़े कलंक, पुलिस की उदासीनता या अनिच्छा, परीक्षण के लंबे और अनुत्पादक होने का डर, मामले को आगे बढ़ाने में शामिल खर्च, और सबसे बढ़कर अपराध करने वालों से मिलने वाली धमकियां।

कानून शायद ही कोई निवारक है। दिल्ली, जो कि एक छोटा राज्य और देश की राजधानी होने के नाते बेहतर शासित है। लेकिन यहां भी बलात्कार, दहेज हत्या, छेड़छाड़, और अपहरण के कुल 13,614 मामलों में सजा की दर वर्ष 2012 में केवल 5.46 प्रतिशत थी, 2021 आते–आते घटकर मात्र 1.65 प्रतिशत रह गई।

निपटाए गए मामलों और बरी हुए लोगों की तुलना करे तो ये दयनीय आंकड़े लापरवाह जांच और चार्जशीट दाखिल करने में खामियों की ओर इशारा करते हैं। वास्तव में मौजूदा न्याय प्रणाली (पुलिस, अदालतें, कानून, सभी एक साथ) अभियुक्तों के लिए इतनी अनुकूल है कि अधिकांश पीड़ित लोग मामला दर्ज कराने के लिए भी आगे नहीं आते हैं। और अगर कोई आगे आने की हिम्मत जुटाता है,पुलिस के पास जाता है तो पुलिस पहले इसे दर्ज नहीं करती है और अगर किसी दबाव में दर्ज करना भी पड़ा तो गलत तरीके से दर्ज करती है। इसलिए बाद में गवाहों के पक्षद्रोही होने की संभावना बढ़ जाती है।

2012 के बाद बलात्कार पीड़ितों को आसानी से न्याय दिलाने के लिए निर्भया फंड बनाया गया। परंतु वस्तु स्थिति है कि इस कोष का 30 प्रतिशत मद अप्रयुक्त रहता है। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि महाराष्ट्र में विधायकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसी फंड के पैसे का इस्तेमाल किया गया था।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कई आयाम हैं। इसे आर्थिक, सामाजिक और कानूनी समस्या के रूप में निपटाया जाना चाहिए।

– डॉ. जया कक्कर

महिलाओं के खिलाफ अपराध

वर्ष	2019	2020	2021	2022
मामला दर्ज	13,614	9924	14,022	12,854,
परिकलीत मामले	9179	6820	9384	7943
निर्णीत मामले	2481	759	643	लागू नहीं
बरी / डिस्चार्ज	1762	438	411	लागू नहीं
सजा	719	331	232	लागू नहीं

(आंकड़े 15 नवंबर 2022 तक के हैं।)

लेकिन सजा में कमी का कारण केवल संस्थागत नहीं है। इसमें परिचरो के सामाजिक प्रतिगमन की भी भूमिका है। अब तो कभी–कभी अधिकारी भी सुझाव देते हैं कि बलात्कारी पीड़िता से शादी कर ले। बिलकिस बानो के मामले में देखा गया कि जब दोषी जेल से बाहर आए थे तो उन्हें अपराध के लिए मौन और (वर्गीय) सामाजिक समर्थन भी मिला था। अपराधियों के प्रति बढ़ती लोकप्रियता भी कानूनी विफलताओं का परिणाम है।

महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की स्थिति पहले से ही चिंताजनक रही है, अब हाल के दिनों में हमलों में क्रूरता भी बढ़ गई है। केवल हाल के महीनों में, केवल कुछ के बारे में बात करे तो एक महिला को उसके पीछा करने वाले ने पेचकस से 51 बार वार किया। एक 17 वर्षीय लड़की पर तेजाब से हमला किया गया, और एक 27 वर्षीय महिला को उसके साथी ने 37 टुकड़े कर दिए। महिलाओं के खिलाफ बढ़ती क्रूरता अपराधों के लिए एक नया आयाम है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 2021 में लगभग हर मिनट एक महिला के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था।

इसके अलावा, हिंसा केवल शारीरिक नहीं है। कई महिलाओं को काम और घर दोनों जगह भावनात्मक शोषण का सामना करना पड़ता है। भारतीय समाज में घरेलू हिंसा व्यापक रूप से प्रचलित है। इस प्रकार, हिंसा शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक हो सकती है – यह सब भारतीय घर और समाज में पुरुषों और महिलाओं, पति और पत्नी के बीच सत्ता के अन्यायपूर्ण बँटवारे के कारण हो सकती है। शारीरिक हिंसा के अलावा, महिलाओं के अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार को पहचानना और स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है भी, तो हो सकता

है कि महिलाओं के लिए प्रभावी कानूनी उपाय उपलब्ध न हों। इस संबंध में, हाल ही में अदालत के एक फैसले (हालांकि केवल सत्र न्यायालय स्तर पर) से कुछ राहत मिल सकती है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि जहां शारीरिक हिंसा निश्चित रूप से एक अपराध है, वहीं घरेलू हिंसा में यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार भी शामिल होना चाहिए।

कानूनी व्यवस्था को अपना कर्तव्य निभाना होगा। लेकिन हमने देखा है कि कानून की स्पष्ट सीमाएँ हैं। केवल शिक्षा, जोखिम, परिपक्वता और आत्मविश्वास के साथ ही भारतीय महिलाएं इस दर्द से बाहर निकल सकती हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस मोर्चे पर भी महिलाओं के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है।

महिलाओं के अधिकारों के लिए परिदृश्य, जिसमें हिंसा के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा और निवारण की उपलब्धता शामिल है, इतने वर्षों के बाद बहुत अधिक उज्ज्वल नहीं है। निर्भया मामले ने समाज को महिला अधिकारों, हिंसा, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के प्रति जागरूक किया। इसने यह स्वीकार किया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए 'स्वतंत्रता' को अधिक समान आधार पर रखने की आवश्यकता है। इन दुर्व्यवहारों को स्वीकार करने के लिए कानूनी प्रणाली अधिक खुली हो गई। महिलाओं से संबंधित अपराधों से संबंधित कानून और अभियोजन में प्रगति हुई थी। लेकिन अब तक का हासिल क्या है?

वास्तव में निवारक के रूप में कानूनों पर बहुत अधिक निर्भरता की सीमाएँ हैं। कानून महत्वपूर्ण है लेकिन वह एक सीमा तक ही मदद कर सकता है। हमें मानसिकता पर ध्यान देने की जरूरत है। जब कभी महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति माना जाता है, तो स्वाभाविक रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा से लड़ने के प्रयासों को पलीता लगता है। पुरुष प्रधान और स्त्री विरोधी मानसिकता की सामाजिक वास्तविकताओं के साथ बेहतर परिणाम हासिल नहीं किया जा सकता है। हाल के वर्षों में स्त्री–पुरुष संबंधों को लेकर सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश हुई है। अंतर्धार्मिक संबंध को लेकर भी खूब बहस हो रही है। महिलाओं को कमतर करके रखने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।ऐसे में पीड़ित होने के बावजूद महिलाओं को रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं है बल्कि पुरुष अधिकारों को धीरे–धीरे कम करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि महिलाओं को आर्थिक मुक्ति के लिए अपना रास्ता तैयार करना होगा। घरेलू हिंसा के मामले तो है ही महिलाएं बाहर ही असुरक्षित हैं। महिलाओं को भी हिंसा से मुक्त होने का अधिकार है गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्राप्त है। ❑❑

कारगर जैव विविधता तंत्र से बचेगी दुनिया

कनाडा के मॉन्ट्रियल में संपन्न हुई 15वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (कॉप–15) अधिवेशन में नई राह खोलने वाला जैव–विविधता रूपरेखा प्रस्ताव पारित हुआ है। करीब चार साल तक चली सहमति प्रक्रिया के बाद यह समझौता तैयार हुआ है। इसके तहत वर्ष 2030 तक 23 वैश्विक ध्येयों की प्राप्ति करने का संकल्प लिया गया है। यह नजरिया वर्ष 2050 आने तक दुनिया को अपने तौर–तरीकों को कुदरत के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए तैयार करेगा।

नव–निर्मित रूपरेखा का उद्देश्य जैव–विविधता में हो रहे ह्रास को रोकना और पुनर्निर्माण करना है। आज विश्व बहुत नाजुक पर्यावरण चरण से गुजर रहा है, परिणामस्वरूप धरती पर 'प्राणी–जीवन' छठवीं बार विलुप्त होने की नौबत बनने लगी है। बहुत बड़ी मात्रा में हुआ जैव–विविधता का ह्रास, जिसको अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने 'जैविक प्रलय' का नाम दिया है, एक मानव–निर्मित संकट है और इससे अगले कुछ दशकों में 10 लाख से अधिक प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है।

इस बारे में जैव विविधता रूपरेखा समझौता मील का पत्थर हो सकता है, इस महत्वाकांक्षी ध्येय की प्राप्ति हेतु समयबद्ध सीमारेखा तय की गई है और इससे पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि को नांथने वाले प्रयासों को भी बल मिलेगा। निःसंदेह, जैव–विविधता और पर्यावरण बदलाव का आपस में गहरा रिश्ता है। लगातार बिगड़ते जा रहे मौसमीय संकट को बतौर मददगार एक फलती–फूलती जैव–विविधता की सख्त जरूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि इस ऐतिहासिक जैव–विविधता संधि को 'पेरिस पैक्ट' के विस्तार की तरह देखना ज्यादा मुनासिब होगा... मांट्रियल रूपरेखा और पेरिस संधि, दोनों का कदमताल।

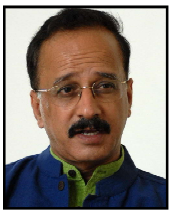

वैश्विक जैव–विविधता रूपरेखा द्वारा पेश चुनौती, जिस दुनिया में हम रहते हैं उसकी पुनर्कल्पना करने में दूरगामी होगी और ठीक इसी समय आर्थिक नीतियों की सोच और रुख की लीक सुधारने में भी। पर्यावरण रक्षा सुनिश्चित किए बिना अर्थव्यवस्था किस काम की।

– देविन्दर शर्मा

वैश्विक जैव–विविधता रूपरेखा में जिस किस्म का रूपांतर उकेरा गया है, उसके मुताबिक 2030 तक पृथ्वी के कुल भू–भाग का जितना नुकसान पिछले कई दशकों में हुआ है, उसके 30 फीसदी भाग का पुनर्निर्माण करना है क्योंकि फिलहाल महज 17 प्रतिशत ही सही बचा है, इसी तरह बुरी तरह प्रदूषित हो चुके महासागरों की पर्यावरणीय सुरक्षा में 30 प्रतिशत हिस्सा यकीनी बनाना है। इसके लिए फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा करने वाली

सब्सिडी व्यवस्था में 500 बिलियन डॉलर की सालाना कटौती की जानी है। साथ ही 2030 तक कीटनाशकों के इस्तेमाल में 50 प्रतिशत की कमी लानी है। इससे किसी क्षेत्र में 'दूसरे ग्रह से आए जैसे लगने वाले बाहरी कीटों' की आमद आधी हो सकेगी, यह होने का एक फायदा टिकाऊ विकास का खाका खींचा जाना भी है। नई संधि में जनजातीय लोगों और वन–वासियों के अधिकारों को यथावत् बनाए रखने की बात भी है।

मॉन्ट्रियल रूपरेखा को साकार करने में हर साल सरकारें, निजी क्षेत्र और भलाई संस्थानों के वित्तीय सहयोग से 200 बिलियन डॉलर का आर्थिक सहायता फंड बनाया जाएगा। एक सघन निगरानी तंत्र भी अपनी जगह बैठाया गया है ताकि धन का इस्तेमाल उचित ढंग से होना सुनिश्चित रहे और ठीक इसी समय सदस्य देशों पर कड़ी निगरानी रहेगी कि वे रूपरेखा के प्रावधानों पर सही अमल कर रहे हैं या नहीं।

कुन्मिंग–मॉन्ट्रियल जैव–विविधता रूपरेखा और 2010 में उल्लेखित आइची जैव विविधता ध्येय (जो अधिकांशतः अनजान रहा) में सबसे बड़ा फर्क यह है कि नए तंत्र में निगरानी व्यवस्था शामिल की गई है। हालांकि ध्येय वैश्विक हैं किंतु ध्येय प्राप्ति को मूर्त रूप देना विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अपने राष्ट्रीय हित में होगा। हालांकि बात जब 2030 तक कीटनाशकों का इस्तेमाल आधा करने की आई तो ब्राज़ील, अर्जेंटाइना और भारत असहज हो उठे, लेकिन उम्मीद है कि सार्वजनिक दबाव नीति नियंताओं को संधि के सिद्धांतों के अनुरूप रूपांतर करके नीतियों को व्यावहारिक बनाने को मजबूर करेगा।

औद्योगिकीकृत–कृषि व्यवस्था दुनियाभर के वन–क्षेत्र में तबाही की 80 प्रतिशत जिम्मेवार है, जिसकी वजह से भू–स्रोतों का 52 प्रतिशत हिस्सा बदतर होता गया। इससे खतरे में पड़ी 28000 प्रजातियों में 86 फीसदी के विलुप्त होने की नौबत आ गई है। इस ह्रास की क्षतिपूर्ति खाद्य व्यवस्था का स्वरूप बदले बिना संभव नहीं है। हालांकि बढ़ता डिजिटलीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रॉबोटिक्स और स्वचालित प्रणाली जिस तेजी से लाई जा रही है, उससे औद्योगिकीकृत खाद्य मूल्य श्रृंखला आगे और बलवान होगी। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठन और एजेंसियां समय–समय पर खतरे की घंटी बजाते आए हैं, नई जैव–विविधता रूपरेखा सदस्य देशों के लिए अपनी कृषि–नीतियों के पुनर्निर्माण में सहायक होगी। लेकिन यह करना उतना आसान है नहीं, जितना लग रहा है। कृषि–आधारित–व्यापार वाले उद्योगपतियों की लॉबी इतनी ताकतवर है कि इस किस्म के प्रयासों को सिरे चढ़ने ही न दे। उदाहरणार्थ सब्सिडी व्यवस्था घटाने का अर्थ होगा– कृषि के बड़े औद्योगिक घरानों के प्रभुत्व का लगातार सिमटना, क्या वे ऐसा होने देंगे? जबकि इनकी करतूतों से ही मिट्टी और पर्यावरण का इतना ज्यादा नुकसान हुआ है।

हालांकि, अब खाद्य व्यवस्था का रूपांतर मित्र खेती की ओर होने के काफी प्रमाण हैं, फिर भी, प्रकृति आधारित हल की राह... जो जैव विविधता बचाए और ह्रास की क्षतिपूर्ति भी करे... इसमें काफी रुकावटें आएंगी। जहां यूरोपियन यूनियन ने साझा कृषि नीति (कैप) के तहत वर्ष 2023 से टिकाऊ और लचीली कृषि लिए 249 बिलियन यूरो की मदद देने की घोषणा की है वहीं कृषि–व्यापार के धंधेबाजों ने अभी से डर का माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि इससे खाद्य सुरक्षा संकट बनेगा। क्या यूरोपियन संघ उत्पादन के लिए आंकड़ों वाले ध्येय से रहित होकर कीटनाशकों का इस्तेमाल 2030 तक आधा कर पाएगा?

भारत में, पिछले अनुभव बताते दर्शाते हैं कि खतरनाक कीटनाशकों से निजात पाना कितना मुश्किल है, इसका एक बढ़िया नमूना केरल के कासलगंज जिले में काजू की खेती करने वालों के जीवन के लिए काफी नुकसानदायक सिद्ध हुए एंडोसल्फान नामक कीटनाशक का इस्तेमाल और दुरुपयोग तजने का है। जैव–विविधता रूपरेखा द्वारा कीटनाशकों का इस्तेमाल 50 फीसदी घटाने का ध्येय इसलिए भारत के बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ऐसे हर प्रयास को पग–पग पर ताकतवर लॉबी की डाली अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही, पर्यावरण तंत्र का 30 फीसदी पुनर्निर्माण करने वाले ध्येय का टकराव भी औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचा विकास नीतियों के साथ होगा। छत्तीसगढ़ के हसदेओ अरंद कोयला खान वाले मामले में, जहां पर जनजातीय समुदायों ने खनन के खिलाफ लंबे समय तक आंदोलन चलाया था, तब भारत के वन्यजीवन संस्थान द्वारा करवाया जैव–विविधता सर्वेक्षण अपने–आप में आंखें खोलने वाला है। जैव–विविधता के खजाने से भरपूर इलाकों में पर्यावरण के बचाव को सर्वोपरि तरजीह होनी चाहिए। इसी प्रकार, जैव–विविधता से परिपूर्ण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जहां पर विशालकाय सामरिक परियोजना के लिए 8 लाख पेड़ काटने की योजना है, जबकि इस इलाके में दो राष्ट्रीय वन्य क्षेत्र और बायोस्फियर रिजर्व पार्क हैं। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए हरियाणा और मध्यप्रदेश में पेड़ लगाने के औचित्य पर पर्यावरणविद् सवाल उठा रहे हैं।

बहरहाल, वैश्विक जैव–विविधता रूपरेखा द्वारा पेश चुनौती, जिस दुनिया में हम रहते हैं उसकी पुनर्कल्पना करने में दूरगामी होगी और ठीक इसी समय आर्थिक नीतियों की सोच और रुख की लीक सुधारने में भी। पर्यावरण रक्षा सुनिश्चित किए बिना अर्थव्यवस्था किस काम की। ❑❑

लेखक खाद्य एवं कृषि मामलों के विशेषज्ञ हैं।

https://www.dainiktribuneonline.com/news/comment/effective-biodiversity-system-will-save-the-world-134124/

स्वावलंबन से दूर होगी बेरोजगारी

नवंबर महीने में दो किश्तों में सरकार के विभिन्न विभागों में 1 लाख 46 हजार युवाओं को रोजगार मिला। केन्द्र सरकार ने 10 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए सभी राज्य सरकारों से भी बढ़–चढ़कर नौकरियां देने की अपील की गई है। लेकिन इसी अवधि में श्रमिक भागीदारी दर (एलपीआर) में दर्ज की गई गिरावट न सिर्फ कामकाजी आबादी के बीच पनपती निराशा का संकेत है बल्कि रोजगार पैदा करने में अक्षम होने की कहानी भी है।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी (सीएमआईई) के आंकड़े बताते हैं कि अक्टूबर 2022 में रोजगार की दर घटकर 36 फ़ीसदी पर आ गई जो साल भर पहले इसी अवधि में लगभग 37.3 प्रतिशत थी। अक्टूबर के महीने में नौकरियों की संख्या में 78 लाख की गिरावट आई लेकिन बेरोजगारों की संख्या 56 लाख ही बढी। यानी 22 लाख लोग रोजगार बाजार से निराश होकर अपने घरों को लौट गए।

सितंबर 2022 में बेरोजगारी की दर 6.4 प्रतिशत थी जो कि अक्टूबर 2022 में बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गई है। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ जोंक की तरह चिपकी बेरोजगारी के दरमियान कुछ हजार नौकरियों का तोहफा रोजगार के बाजार में ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही है।

आंकड़े और अनुभव दोनों इस बात की गवाही दे रहे हैं कि घरेलू बाजार में मांग नहीं है और ऊंची महंगाई दर इसे और नीचे लाने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ वैश्विक मांग में गिरावट के कारण निर्यात भी लगातार नीचे की ओर जा रहा है।

अक्टूबर 2022 में निर्यात 16.58 प्रतिशत गिरकर 20 महीने के निचले स्तर 29.8 अरब डालर पर आ गया है जबकि आयात 6 फीसदी बढ़कर 56.69 अरब डालर पर पहुंच गया है। यदि अप्रैल से अक्टूबर 2022 के आंकड़े को देखें तो निर्यात में 12.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह 263.35 अरब डालर का रहा है, जबकि आयात 33.12 प्रतिशत बढ़कर 436. 81 अरब डालर पर पहुंच गया।

बेरोजगारी के संकट से घिरे भारत के नीति निर्माताओं को अपनी प्राचीन आर्थिक पद्धति पर गौर करते हुए स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत स्वावलंबी भारत की पहल गंभीरता के साथ करनी होगी।
– स्वदेशी संवाद

आयात निर्यात का यह विपरीत रुझान घरेलू रोजगार बाजार के भविष्य के लिए दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ निर्यात में गिरावट के कारण नौकरियां घट रही हैं तो दूसरी तरफ आयात बिल बढ़ने से पूंजीगत निवेश प्रभावित हो रहा है। ऐसे में यक्ष प्रश्न है कि फिर नौकरियां कैसे पैदा हो पाएंगी?

चिंता की बात यह है कि शहरी बेरोजगारी के साथ–साथ ग्रामीण बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई है। जून 2020 से ग्रामीण बेरोजगारी की दर जो 7.7 प्रतिशत थी अक्टूबर महीने में 8 का आंकड़ा पार कर गई है। एलपीआर लगातार 40 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।

नौकरियों के मामले में कृषि क्षेत्र नवंबर 2021 में अपने उच्चतम पर था जब इस क्षेत्र में 16.4 करोड़ लोग रोजगार रत थे, लेकिन उसके बाद से आंकड़ा तेजी के साथ नीचे आया और सितंबर 2022 में कृषि क्षेत्र में 13.4 करोड़ लोग ही रोजगार रत पाए गए। अक्टूबर 2022 में इस आंकड़े में थोड़ा सुधार जरूर हुआ और यह बढ़कर 13.96 करोड हो गया, लेकिन पिछले 4 सालों के दौरान अक्टूबर महीने में कृषि क्षेत्र में नौकरियों का यह न्यूनतम आंकड़ा है।

इसी तरह सेवा क्षेत्र में 79 लाख नौकरियां समाप्त हो गई जिनमें 46 लाख ग्रामीण इलाकों में थी, और इसमें भी 43 लाख खुदरा क्षेत्र में थी। यानी सेवा क्षेत्र में लगभग आधी हिस्सेदारी रखने वाले खुदरा क्षेत्र की हालत भी ग्रामीण इलाकों में खराब हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में खरीदारी की क्षमता घट रही है जिसके चलते मांग की दर भी नीचे आ रही है।

औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति भी अच्छी नहीं है। सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा करने वाले निर्माण क्षेत्र ने भी अक्टूबर 2022 में दगा दिया, यहां 10 लाख से अधिक नौकरियां समाप्त हो गई हैं।

वैश्विक मंदी की आशंका के बीच बेरोजगारी के संकट से घिरे भारत के नीति निर्माताओं को अपनी प्राचीन आर्थिक पद्धति पर गौर करते हुए स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत स्वावलंबी भारत की पहल गंभीरता के साथ करनी होगी।

विश्व व्यापार संगठन ने भी रोजगार को लेकर नकारात्मक संदेश दिया हैं। संगठन के अनुमान के मुताबिक 2022 में वैश्विक व्यापार की वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत रहेगी जबकि 2023 में यह मात्र 1 प्रतिशत पर सिमट जाएगी।

इसका मतलब है कि भारत का निर्यात लगातार कम होगा और यह कमी रोजगार बाजार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हमारे पास सेवा क्षेत्र से थोड़ी बहुत उम्मीद है। लेकिन लगभग 140 करोड़ के देश की विशाल कामकाजी आबादी के लिए यह क्षेत्र कितना रोजगार जुटा पाएगा सहज ही समझा जा सकता है।

इस क्रम में मुनाफे के सिद्धांत पर धंधा करने वाले निजी क्षेत्र अब भी उदासीन है। कारपोरेट कर में कटौती, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन और अन्य राजकोषीय प्रोत्साहनों के बावजूद निजी क्षेत्र निवेश के लिए कदम नहीं बढ़ा रहा है। वित्तमंत्री बार–बार इस को रेखांकित करती रही है।

वर्तमान का एक तथ्य यह भी है कि सरकार अप्रैल से अगस्त के दौरान 75 खरब रुपए के वार्षिक पूंजीगत निवेश लक्ष्य का मात्र 33.7 प्रतिशत ही खर्च कर पाई, जबकि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने अप्रैल से सितंबर के दौरान 66.2 खरब डालर के वार्षिक पूंजीगत निवेश लक्ष्य का 43 प्रतिशत खर्च किया। आखिर बिना निवेश बढ़ाए रोजगार कैसे पैदा होगा?

वैश्विक मंदी की आशंका के बीच बेरोजगारी के संकट से घिरे भारत के नीति निर्माताओं को अपनी प्राचीन आर्थिक पद्धति पर गौर करते हुए स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत स्वावलंबी भारत की पहल गंभीरता के साथ करनी होगी।

अस्थिर वैश्विक आर्थिकी के मद्देनजर रोजगार की राह को आसान बनाने के लिए सरकार के रणनीतिकारों को सूझबूझ के साथ अनुकूल नीति के साथ आगे बढ़ना होगा। वरना बेरोजगारों की बढ़ती आबादी के आगे रोजगार के मेले बौने ही बने रहेंगे। ❑❑

विनिर्माताओं द्वारा उत्पादों का मरम्मत योग्य प्रारूप

हम उन दिनों को नहीं भूले हैं जब हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे टीवी, ट्रांजिस्टर, पंखे, एयर कंडीशनर, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जैसे घरेलू सामान, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर जैसे अनेक उपकरणों की मरम्मत हमारे आस-पास के बाजारों में मरम्मत की दुकानों में की जाती थी। लंबे समय से, प्रौद्योगिकी कंपनियों ने अपने उत्पादों की मरम्मत करना असंभव नहीं तो परंतु कठिन अवश्य बना दिया है। यह उपभोक्ताओं के लिए कष्टकारी है। निर्माताओं ने आधुनिक गैजेट्स को गारंटी और वारंटी की नीति के साथ इस तरह से डिजाइन किया है कि उन मरम्मत की दुकानों को बड़ी संख्या में बंद होने को विवश कर दिया है जिससे मैकेनिक बेरोजगार हो गए हैं और गारंटी और वारंटी अवधि से परे मरम्मत या खरीद पर ग्राहकों को भारी खर्च और असुविधा के साथ-साथ नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। नए मॉडल के रूप हर साल या बार-बार बदलते हैं, जब पुराने मॉडल के पुर्जे उपलब्ध नहीं होते हैं। इस प्रकार उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती है। यह लेख उपभोक्ताओं, सरकार और विनिर्माताओं को उनके उत्पादों के मरम्मत योग्य प्रारूप को अपनाने के लिए संवेदनशील बनाने का प्रयास करता है।

अधिक से अधिक इलैक्ट्रिक और इलेक्ट्रोनिक उत्पाद मरम्मत होने योग्य नहीं होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, किसी उत्पाद को नष्ट किए बिना खोलना असंभव हो सकता है, और यह भी संभव है कि ग्राहक के पास किसी अन्य उत्पादक या किसी तृतीय-पक्ष के पुर्जों का विकल्प न हो। उपकरणों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए जिससे मरम्मत की अनुमति मिल सके। यहां तक कि उपकरण, जिन्हें लंबे समय से मरम्मत योग्य माना जाता रहा है, उनके उत्पादन में कंप्यूटर चिप्स का प्रयोग कर रहे हैं, जिस से उन्हें भविष्य में मरम्मत के लिए और अधिक कठिन बना रहे हैं। इस प्रकार, मूल रूप से, मरम्मत के अधिकार के लिए निर्माताओं को ग्राहकों को उत्पाद विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता होती है ताकि वे मूल उत्पादकों पर भरोसा करने के बजाय स्वयं या तीसरे पक्ष

प्रौद्योगिकी की प्रगति और पुनः प्रयोज्यता को विरोधाभासी नहीं माना जा सकता है। किसी एक घटक या अवयव की खराबी के कारण प्रौद्योगिकी को लगातार खारिज या बेकार नहीं किया जाता है।

– विनोद जौहरी

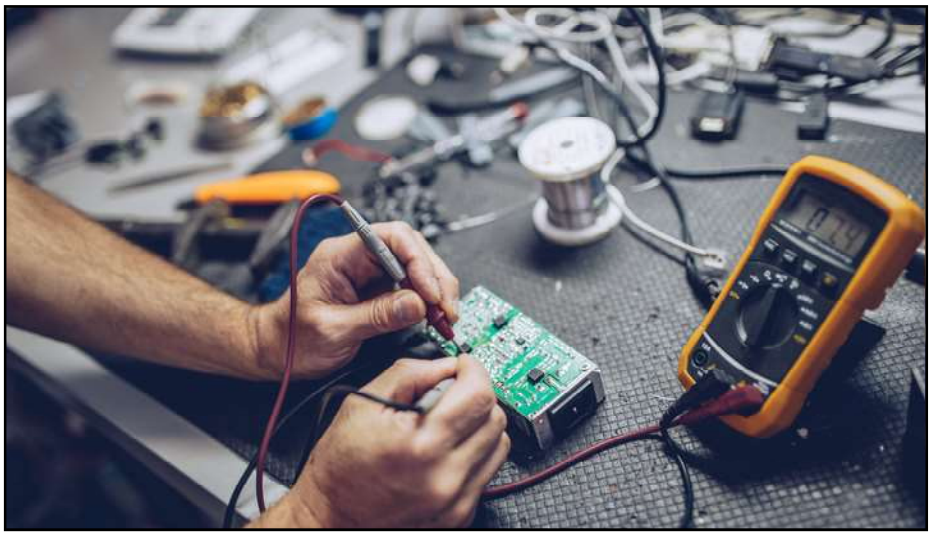

के माध्यम से उपकरणों की मरम्मत कर सकें। यह मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) और तीसरे पक्ष के खरीदारों और विक्रेताओं के बीच व्यापार को भी एकीकृत करता है, जिसके परिणामस्वरूप नए रोजगार का सृजन होता है। उपभोक्ता अधिकार और कल्याण में सुधार के लिए, हमारे देश को एक समर्पित मरम्मत कानून लागू करना चाहिए। शमशेर कटारिया बनाम होंडा सिएल कार्स इंडिया लिमिटेड (2017) में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने फैसला सुनाया था कि एंड–यूज़र लाइसेंस समझौते के माध्यम से स्वतंत्र ऑटोमोटिव मरम्मत इकाइयों के लिए स्पेयर पार्ट्स तक पहुंच को सीमित करना प्रतिस्पर्धा–विरोधी था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने यह संज्ञान लिया कि यह प्रथा उपभोक्ता अधिकार के विरुद्ध थी।

मरम्मत का अधिकार एक प्रभावी वैश्विक आंदोलन है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता अपने उपकरणों को स्वयं ठीक करने और मरम्मत करने में सक्षम हों। अन्यथा, उन गैजेट्स के निर्माता उपभोक्ता को केवल उनकी प्रस्तावित सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित करते हैं। यह अधिकार उपयोगकर्ता को निर्माता के हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर टूल तक पहुंच प्रदान करता है, साथ ही डिवाइस की मरम्मत स्वयं करने या इसे निर्माता के सेवा केंद्र या किसी तीसरे पक्ष में ले जाने का विकल्प देता है। विश्व भर में इलैक्ट्रिक और इलेक्ट्रोनिक कचरे की बढ़ती मात्रा गंभीर चिंता का कारण है, इसलिए मरम्मत के अधिकार पर चर्चा बहुत सम्यक और आवश्यक है।

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने मरम्मत के अधिकार के लिए एक व्यापक रूपरेखा विकसित करने के लिए अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। "मरम्मत का अधिकार" कानून उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोटिव, कृषि मशीनरी जैसे उपकरणों को स्वयं के उपभोक्ता सामानों की स्वतंत्र रूप से मरम्मत और संशोधन करने में सक्षम बनाता है, जबकि ऐसे उत्पादों के निर्माता उपभोक्ता को केवल उनकी शर्तों को मानने को बाध्य करते हैं। वे निर्माता सॉफ़्टवेयर में उन बाधाओं को स्थापित करते हैं जिस से उपकरण और घटकों तक मरम्मत के योग्य न रहें। ये चुनौतियाँ उपभोक्ता के खर्च को बढ़ाती हैं और उपयोगकर्ताओं को उपकरण की मरम्मत करने के बजाय उसे बदलने के लिए मजबूर करती हैं।

विश्व भर में इलैक्ट्रिक और इलेक्ट्रोनिक कचरे की बढ़ती मात्रा गंभीर चिंता का कारण है, इसलिए मरम्मत के अधिकार पर चर्चा बहुत सम्यक और आवश्यक है।

हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के माध्यम से मरम्मत के अधिकार पर पहल की है।

हमारे देश में मरम्मत के अधिकार के लिए एक रूपरेखा विकसित करने का लक्ष्य इस प्रकार है:

1. स्थानीय बाजार में उपभोक्ताओं और उत्पाद खरीदारों का सशक्तिकरण,
2. मूल उपकरण निर्माताओं और तीसरे पक्ष के खरीदारों और विक्रेताओं के बीच व्यापार को सुसंगत बनाना,
3. संवहनीय और दीर्घकालिक उत्पाद विकसित करने पर जोर देने के लिए और
4. ई–कचरे को कम करने के लिए।

मरम्मत के अधिकार के लाभ –

- इससे छोटी मरम्मत की दुकानों को बढ़ावा मिलेगा, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
- यह विशाल विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करने में योगदान देगा।
- यह उपभोक्ताओं के खर्च कम करेगा।
- यह उपकरणों के जीवन को बढ़ाकर और उनके रखरखाव, पुनः उपयोग, उन्नयन, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करके सर्कुलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को प्राप्त

करने में मदद करेगा।

- ग्राहक अपने उपकरणों और गैजेट्स को मरम्मत करने में सक्षम बनाने के लिए अपने स्वयं के उपकरण खरीदने में सक्षम होंगे।
- कंपनी आवश्यक सॉफ़्टवेयर तक पहुंच प्रदान करेगी जिसकी ग्राहक को निर्धारित समय के लिए गैजेट की मरम्मत के लिए आवश्यकता होती है
- उपकरणों/गैजेट्स कम समय में पुराने या बेकार नहीं होंगे और उनका अप्रचलन बंद नहीं होगा।
- कंपनी स्पष्ट रूप से निर्देशित मैनुअल प्रदान करेगी जो उपभोक्ताओं को उपकरणों और गैजेट्स की मरम्मत करने में सहायता करेगी।
- उपभोक्ताओं के पास यह विकल्प होगा कि वे या तो गैजेट्स और उपकरणों की मरम्मत स्वयं करें या कंपनी मरम्मत केंद्र पर जाएं।
- संगठित नवीनीकरण संभव होगा।

इस प्रकार यह कानून लागू होने से यह तीसरे पक्ष की मरम्मत की अनुमति देकर उत्पाद स्थिरता और नौकरी सृजन के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा।

केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री पीयूष गोयल ने एक पोर्टल और एनटीएच मोबाइल ऐप की मरम्मत के अधिकार सहित कई नई पहलों की शुरुआत की और राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन केंद्र का नया परिसर घोषित किया। उपभोक्ता मामलों के विभाग और आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए और साथ ही उपभोक्ता आयोगों का क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी शुरू किया गया। ये पहल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। 'मरम्मत का अधिकार' पोर्टल पर, निर्माता उत्पाद विवरण के मैनुअल को ग्राहकों के साथ साझा करेंगे ताकि वे मूल निर्माताओं पर निर्भर रहने के बजाय वह तीसरे पक्ष द्वारा या स्वयं मरम्मत कर सकेंगे। शुरुआत में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल और खेती के उपकरणों को कवर किया जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर "उपभोक्ता आयोग में मामलों का प्रभावी निपटान" विषय पर बोलते हुए, श्री पीयूष गोयल ने पिछले छह महीनों में लंबित मामलों की अधिक संख्या को निपटाने के लिए उपभोक्ता आयोगों की सराहना की और मामलों के बैकलॉग को समाप्त करने का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा कि उनका मंत्रालय इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रयास कर रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा अभिव्यक्त मूल्यों – अभिसरण, क्षमता निर्माण और जलवायु परिवर्तन – के आढ़त पर उपभोक्ताओं के जीवन को आसान बनाने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 3टी – टेक्नालजी, ट्रेनिंग और ट्रांसपेरेंसी (पारदर्शिता) हमारे उपभोक्ताओं के लिए अधिक से अधिक उपभोक्ता जागरूकता और बेहतर सेवा प्राप्त करने में मदद करेगी।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि मरम्मत का अधिकार उपयोगकर्ता और पर्यावरण दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यहां तक कि अगर एक निर्माता को उपभोक्ता के रूप में ज्यादा लाभ नहीं होता है, तब भी यह नए और बेहतर उत्पादों को विकसित कर सकता है, जबकि यह उपयोगकर्ताओं को मौजूदा उत्पादों की मरम्मत करने की स्वीकृति देता है। प्रौद्योगिकी की प्रगति और पुनः प्रयोज्यता को विरोधाभासी नहीं माना जा सकता है। किसी एक घटक या अवयव की खराबी के कारण प्रौद्योगिकी को लगातार खारिज या बेकार नहीं किया जाता है। इससे बिजली और इलेक्ट्रॉनिक कचरे और पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने में भी मदद मिलेगी, साथ ही उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों और ऐसे उपकरणों को ठीक करने की क्षमता भी प्राप्त होगी। ❑❑

विनोद जौहरीः सेवानिवृत्त अपर आयकर आयुक्त

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

भारत के मूल्यों और सांस्कृति आधारित मॉडल से ही होगा दुनिया का विकास

हाल ही में आरएसएस के सरसंघचालक श्री मोहन जी भागवत ने भारत को चीन–अमरीका जैसा न बनने की सलाह दी और कहा कि भारत को अपना विकास अपने मूल्यों और सांस्कृतिक परंपरा को आधार बनाकर करना चाहिए। वैसे बात तो सही है लेकिन चीन–अमेरिका का विकास मार्ग कोई उनके अकेले का नहीं है। दुनिया में आज लगभग सभी देशों ने इस विकास कल्पना को स्वीकारा है और पिछले 300–400 वर्षों से यह विकास की कल्पना चल रही है। इसमें भारत भी पीछे नहीं है। यह बात सही है कि इस विकास की कल्पना पर चलकर आज दुनिया विनाश के कगार पर पहुंच चुकी है। इस विकास का ही परिणाम है आज दुनिया को जलवायु परिवर्तन से हो रहे भयावह परिणामों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि विकास के किसी अन्य मार्ग की चर्चा हो। और उसमें से एक है भारतीय संस्कृ ति से उपजा एकात्म विकास मार्ग। शायद भागवत जी उसी मार्ग की बात कर रहे है।

विकास के तौर–तरीके 'साम्यवाद' एवं 'पूंजीवाद' में सिमट कर रह गए

मानव जाति के प्रगति का इतिहास टेड़ा–मेडा लेकिन दिलचस्प रहा है। इसमें दो राय नहीं कि मानव को प्रकृति और अन्य प्राणी जीवन का साथ या संघर्ष इस प्रगति में उपयोगी रहा है। जैसे–जैसे मानव बस्तियाँ बसाता गया, कृषि–उद्योग और आपसी व्यापार बढ़ा, सुख समृद्धि भी बढ़ी। भौगोलिक अधि सत्ता भी बनी और उपनिवेश वाद के बाद यह बस्तियाँ आज के अलग स्वतंत्र देश बने और कई वजह से आपस में बटे भी। समय के साथ मानव ने जीवन जीने की इच्छा, क्षमता बढ़ाई और सुख–समृद्धि के नए–नए तौर–तरीके अपनाए तथा उसके लिए जरूरी संसाधन भी जुटाये। सुख समृद्धि की कल्पनाएँ बदलती रही और आनंद जैसी कल्पना ने भी आकार लिया। यह जरूर है कि कुछ देश सुख समृद्धि ढूंढते रहे तो कुछ आनंद के पीछे दौड़े। जो देश सुख समृद्धि बढ़ाने में मग्न हुए उन्होंने सुख–समृद्धि बढ़ाने के मार्ग ढूंढे और उस ओर चलने के तौर–तरीकों को तलाशा जिसमें 'साम्यवादी' या "पूंजीवादी' मार्ग मुख्य रहे। बहुत से देश इन्हीं मार्गों और तौर–तरीकों में उलझे रहे और विकास की चर्चा इन दो मार्गों तक ही सीमित रही। तीसरा मार्ग जो आनंदी जीवन की बात करता था वह भारत का था, कही पीछे छूट गया।

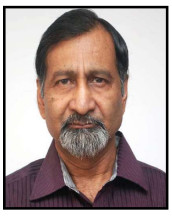

निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि दुनिया को आज अपनाए हुए इस विनाशकारी मॉडल को छोड़ना होगा और भारत के एकात्म विकास मॉडल को स्वीकारना होगा।

– अनिल जवलेकर

सुख–समृद्धि का 'साम्यवादी' 'पूंजीवादी' विकास मार्ग

साम्यवाद हो या पूंजीवाद, दोनों का लक्ष सुख–समृद्धि ही है। मार्ग में अपनाए गए तौर–तरीके भी एक ही है जो संसाधनों के शोषण पर आधारित है। पूंजीवादी सुख–समृद्धि के लिए यह आवश्यक मानता है कि जिसके पास संसाधन है उसे अपने तरीके से इस मार्ग पर चलने दिया जाए। साम्यवाद संसाधन संपन्न पर भरोसा नहीं करता और राज्य (सरकार) से सब–कुछ नियंत्रण में रखने की बात करता है। पूंजीवादी सारे संसाधनों का उपयोग अपने फायदे के लिए करने की छूट चाहता है और सब–कुछ बाजार के अदृश्य हाथों पर सौंपने को तैयार रहता है। अमरीका और पश्चिमी देश इसके उदाहरण है। साम्यवादी सभी संसाधनों पर राज्य की हुकूमत चाहता है और नेता तथा बाबूगिरी पर सब–कुछ सौंपने को तैयार रहता है। रूस और चीन इस साम्यवाद के उदाहरण है। लेकिन अब हाल यह है कि साम्यवादी देशों ने पूंजीवाद की मशाल हाथ में ले ली है और पूंजीवाद ने भी राज्य का महत्व और उसके हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया है। इसलिए आजकल आर्थिक संकट निपटने के लिए सरकारों के हस्तक्षेप और सहायता की अपेक्षा की जाती है और वह कर भी रही है।

इस विकास की दिशा विनाश की ओर

पूंजीवादी और साम्यवादी विकास का मॉडेल आज नाकाम हुआ लगता है और उसका मुख्य कारण इसका मानवी जीवन की ओर टुकड़े में देखना है। पूरे विश्व को, उसकी प्रकृति को और उसमें बसे जीव सृष्टि को एक उपभोग्य नजर से देखना उनकी विकास कल्पना को भौतिक सुख–समृद्धि से जोड़ता है और गिने जाने वाले सुख साधनों के बढ़ाने को ही विकास मान लेता है। उपलब्ध सभी नैसर्गिक संसाधनों का अपने सुख–समृद्धि के लिए अंधाधुंध उपयोग कर विकास साधने के उनके विश्वास ने ही आज के जलवायु परिवर्तन तक पहुंचा दिया है और सारे जीव सृष्टि के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। इसलिए कहा जा सकता है कि यह विकास मॉडल मानव जाति के लिए अच्छा नहीं रहा।

भारत का एकात्म विकास मॉडल

प्राचीन भारत ने बहुत पहले ही एकात्म विकास मॉडल दिया जो नैसर्गिक संसाधनों का मर्यादित उपयोग और पर्यावरण संतुलित जीवन पद्धति की बात करता है। इस मॉडल को एक मानवी हित की विचारधारा का आधार रहा है और कई महात्माओं ने इसे अलग–अलग नाम से समझाने का प्रयास किया है। भारतीय प्राचीन ऋषि–मुनियों ने इसको मोक्ष की दृष्टि दी तो महात्मा गांधी ने रामराज्य की कल्पना में इसे व्यक्त किया। विनोबा ने इसे सर्वोदय और ग्राम स्वराज्य के रूप में देखा तो पंडित दिन दयालजी ने इसे एकात्म मानववाद कहा। आजकल पंत प्रधान मोदीजी इसे आत्मनिर्भरता से जोड़ रहे है। भारत के विकास मॉडल की पहली विशेषता यह है कि जीवन के किसी भी व्यक्त या अव्यक्त भाग को यह मॉडल टुकड़े में नहीं देखता। सृष्टि में एकात्मता का एक अन्तर भूत तत्व है यह मानकर यह मॉडल सभी के विकास में सभी की भागीदारी आवश्यक समझता है। स्वार्थ को अपनाते हुए उसे एक समय पर त्याग की ओर मोड़ना इस मॉडल की दूसरी खासियत है। इसलिए इस मॉडल में व्यक्ति से अपनी प्रगति के लिए आवश्यक स्वार्थ जुटाना जितना आवश्यक है उतना ही कुटुंब के लिए उसका त्याग करना। इसी तरह कुटुंब देश के लिए और देश विश्व के लिए या मानव जाति के लिए स्वार्थ छोड़ने की प्रक्रिया का महत्व है। तीसरे, यह मॉडल सुख–समृद्धि को नकारता नहीं फिर भी नैसर्गिक संसाधनों की मर्यादा को भंग होने नहीं देता। बल्कि जीवन के एक मोड पर इस भौतिक विकास की दिशा को सुख समृद्धि से आनंद की ओर मोडने की इच्छा रखता है। चौथे, सुख समृद्धि भी वह अपने आस पास के संसाधन, उनके विकास और भागीदारी में ढूँढता है इसलिए यह शोषण रहित ग्राम विकास और विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है। भारतीय मॉडल की पाँचवीं विशेषता यह है कि इस व्यवस्था में राज्य एक विश्वस्त है और धर्म सर्वोपरि। यहाँ धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है। धर्म स्वाभाविक नियमन होता है और प्रासंगिक रूप से उपयुक्त व्यवहार की बात कर मानवी हित के लिए समाज धारणा करता है।

दुनिया को विकास मॉडल बदलना होगा

निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि दुनिया को आज अपनाए हुए इस विनाशकारी मॉडल को छोड़ना होगा और भारत के एकात्म विकास मॉडल को स्वीकारना होगा। सभी को एक साथ सुख समृद्धि की व्यवस्था दे पाना लगभग असंभव है और सृष्टि का विनाश कर की गई समृद्धि मानवी हित में नहीं होगी यह कहने की जरूरत नहीं है। मानवी जीवन आनंदी हो इतनी सुख–समृद्धि वह भी संसाधनों के संवर्धन के साथ हो तो ही मानव जाति का विकास सुरक्षित हो सकता है, यह समझना आवश्यक है। इसलिए भारत की विकास दिशा चीन वाली या अमरीका वाली होने से भारत का हित नहीं है लेकिन दुनिया अगर भारत वाली विकास दिशा माने तो सभी के हित का होगा इसमें शंका नहीं हैं। कम से कम भारत उस दिशा में बढ़े तो आने वाले समय में उपयुक्त होगा यह जरूर कह सकते है। ❑❑

तीसरा विकल्प - खोज जारी है...

श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने जिस तीसरे विकल्प की अवधारणा हमारे राष्ट्र के सम्मुख विचारार्थ रखी, वह चिंतन और मनन का ही विषय नहीं है बल्कि उसे हमें अपने जीवन में आत्मसात् करने का निर्देश है। यह पंडित दीनदयाल जी के एकात्म मानवदर्शन का व्यावहारिक स्वरूप है, जिसे सांकेतिक अर्थ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने "नये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था" न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, (एनईओ) के नाम से अपने जी–77 देशों द्वारा उठाई गई माँगों को स्वीकार करते हुए 12 दिसंबर 1974 के प्रस्ताव क्रमांक 3281 में घोषणा पत्र के रूप में ग्रहण किया था। यह घोषणा पत्र साम्यवाद और पूंजीवाद के खिलाप विकाशशील देशों की उन भावनाओं को समाहित करके बना है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनैतिक रूप से उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद आर्थिक उपनिवेशवाद के स्वरूप को बनाये रखकर आर्थिक शोषण की प्रक्रिया को जारी रखने की संरचना को ख़त्म कर एक न्यायपूर्ण आर्थिक समता के आधार पर अपना विकास चाहते थे। ब्रिट्टन उड़ द्वारा स्थापित विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दोनों संगठन ही आर्थिक उपनिवेशवाद (इकोनोमिक कॉलोनिज्म) को भूमण्डलीकरण के नाम पर उसे शोषण–तंत्र के रूप में एक माध्यम बनाने का ही प्रयास था जिसे यूरोप और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने मिलकर बनाया था। यह पूंजीवाद का छलावा आवरण था और इसमें बदलाव की आवश्यकता को विकासशील देशों ने समझ लिया था। दूसरी तरफ़ साम्यवादी ताकतें यह चेष्टा कर रही थी कि नये स्वतंत्र राष्ट्र उसके पक्ष में आयें।

पूंजीवादी और साम्यवादी ताकतों के बीच अकथित युद्ध चल रहा था, जिसे सामान्य भाषा में कोल्ड वार के रूप में जाना जाता रहा है। ऐसे में नये स्वतंत्र राष्ट्र निष्पक्ष और तटस्थ रहकर अपना विकाश चाह रहे थे, जिससे उनका समग्र विकास हो सके। उनकी आर्थिक नीतियों पर उनकी संप्रभुता बनी रहे और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उन्हें उचित मूल्य मिले। नॉन एलाइंड मूवमेंट (एनएएम), इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बना था और आज भी इसका अस्तित्व है, हालाँकि अब यह इतना सार्थक और प्रभावी नहीं रहा। परन्तु विकासशील देशों की एकजुटता की नींव डालने में एनएएम की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

भारत अब जी–20 देशों का नेतृत्व कर रहा है। विश्व की सबसे तेज रफ़्तार से आर्थिक उन्नति करने वाला राष्ट्र बन गया है।

– डॉ. धनपतराम अग्रवाल

संयुक्त राष्ट्र द्वारा NIEO को मान्यता देने के बाद व्यापार तथा विनियोग (ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट) के क्षेत्रों में अब विकासशील देशों को एक ऊर्जा मिल गई और वे अपने राष्ट्र के आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर अपनी नीति निर्माण में स्वाधीन हो गये। इसी कारण अमेरिका इसे अन्तर्राष्ट्रीय क़ानूनों में संयुक्त राष्ट्र का दख़ल हो रहा है, इस तरह का प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पेश करके इस प्रस्ताव की तीक्ष्णता को कम करवाने में सफल रहा और कभी भी एनआईईओ के यूएन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। साथ ही उसने यूएनसीटीएटी जो कि 1964 में विकासशील राष्ट्रों के हितों की रक्षा के लिये बना था, उसे भी प्रभावहीन बना दिया। उसे लगा कि जैसे ओपेक के बन जाने से खनिज तेल के उत्पादन और उनकी क़ीमतों को बढ़ाने में खाड़ी देशों को जो सफलता मिली उससे विकसित राष्ट्रों को काफ़ी नुक़सान उठाना पड़ा, क्योंकि खनिज तेल का दाम एक साथ अक्टूबर 1973 में 3 डालर प्रति बेरल से बढ़कर मई 1974 में 11 डालर प्रति बेरल हो गया। अमरीकी डालर बहुत कठिनाई में पड़ गया तथा आईएमएफ ने नई मुद्रा के रूप में एसडीआर की घोषणा की। विकसित राष्ट्रों ने मिलकर फिर जीएटीटी के सहारे युरूगवे में 1986 में नई व्यापार वार्ता चालू करवाई जिससे विकसित राष्ट्रों का वर्चस्व और शोषण चालू रह सके। 1989 में बर्लिन दीवार के

गिरने और दोनों जर्मनी के एक हो जाने और फिर सोवियत रुस के 1990 में विघटन हो जाने से अमेरिका के बाज़ारवादी नीति को नई ऊर्जा मिलने लगी। विश्व व्यापार संगठन का निर्माण 1993 के दिसंबर महीने में हो गया और उसके बाद न सिर्फ़ शिल्प बल्कि कृषि और सेवा क्षेत्र को भी मुक्त बाज़ार की परिधि में ढकेलकर भूमंडलीकरण का क़हर सभी विकासशील देशों पर थोप दिया गया। पिछले 30 वर्षों में दुनिया में धनी और गरीब देशों के बीच की खाई और गहरी हो गई है। बौद्धिक सम्पदा क़ानूनों के द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपना एकाधिकार और मज़बूत करती जा रही हैं। जो स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी, वैसे आसार अब फिर से दिखने लगे हैं। जो आर्थिक विषमता एक तरफ़ ग़रीबी और बेरोज़गारी को बढ़ावा दे रही है वहीं दूसरी तरफ़ मंदी तथा महंगाई की मार आम व्यक्ति की दैनिक ज़िंदगी में नाना प्रकार की समस्याएँ पैदा कर रही हैं और इससे पूरी मानवजाति त्रस्त है। लोगों का एक दूसरे पर विश्वास ख़त्म हो रहा है। व्यापार और वाणिज्य पर इसका बड़ा दूषित प्रभाव पड़ रहा है। सामाजिक जीवन भी इससे प्रभावित हो रहा है। स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। दुनिया में आत्म हत्याएँ बढ़ रही हैं। परिवार टूट रहे हैं, सामाजिक समरसता प्रायः समाप्त होती जा रही है।

वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था दुनिया में चल रही है, उसमे कुछ ऐसे विरोधाभास हैं जो एक साधारण से व्यक्ति को भी विस्मय में डाल देते हैं। उदाहरण के लिये अमेरिका डालर प्रिंट करता है और उनके यहाँ साधारणतया महंगाई का बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, अभी इस साल थोड़ा सा अपवाद ज़रूर दिख रहा है जिसके लिए रुस–यूक्रेन युद्ध ज़्यादा ज़िम्मेवार है। अन्यथा 2008–09 की सब–प्राइम आर्थिक तंगी के समय वहाँ की केंद्रीय बैंक फेड रिज़र्व ने खरबों डालर छापे, किंतु उसका महंगाई पर कोई असर नहीं हुआ। फिर कोविड–19 की महामारी में भी खरबों डालर प्रिंट करके लोगों में बाँटे गये, फिर भी वहाँ की अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ हुई। डालर दुनिया की सभी मुद्राओं की तुलना में मज़बूत हुआ। दूसरा विरोधाभास कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा क़र्ज़दार देश होते हुए भी वहाँ कोई दीवालिएपन की स्थिति नहीं आती। उनका पूँजी बाज़ार मज़बूत होता है। सारी दुनिया से वहाँ विनियोग बढ़ता है, उनकी क्रेडिट रेटिंग या साख बढ़ती है। ऐसी स्थिति में यूरोप का भी कोई देश अपवाद नहीं होता। फ़्रान्स, इटली, इंगलेंड, ग्रीस, स्पेन आदि देशों में आर्थिक तंगी के आसार देखने को मिले हैं, परन्तु अमेरिका में एक स्वचालित व्यवस्था है जिसके कारण बजट का वित्तीय घाटा या व्यापार घाटा कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। अमेरिका आज विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना हुआ है।कुल मिलाकर डालर के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का मुखिया होने का जो ख़िताब उन्होंने अपने साथ लगा लिया है, वह उनका वित्त बाज़ार और पूँजी बाज़ार में एक माफिया जैसी शक्ति उनको दे रखा है और आज जब मर्ज़ी हो किसी दूसरे देश पर उनकी मुद्रा का डालर से लेन–देन पर रोक लगाकर वहाँ की आर्थिक गतिविधियों पर अंकुश कसता रहता है। इस डर से या तो वे देश उसकी मर्ज़ी से चलें या फिर उसकी मार सहें। आज वेनेजुएला, ईरान तथा अभी रुस तथा अन्य कई देश उसकी इस माफियागिरी का शिकार बने हुए हैं। क्या जो स्विफ्ट व्यवस्था है,उसको बदला नहीं जा सकता? क्या अमेरिकन डॉलर डिप्लोमेसी को रोका नहीं जा सकता? क्या ब्रिट्टन वुड व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता? इन सब सवालों के जवाब कौन दे सकता है। विकासशील देश ज़्यादातर मुद्दों पर आपस में छूद्र कारणों को लेकर झगड़ते रहते हैं, परिणाम में अमेरिका को पंचायती करने का फ़ायदा मिलता है। आज तक अमेरिका को कभी भी आईएमएफ़ से मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अमेरिका का अधिकतर देशों से व्यापार घाटा है और उन निर्यात करने वाले देशों का पैसा अमेरिकन फेड रिज़र्व में लगभग बिना ब्याज या बिलकुल नगण्य ब्याज पर जमा रहता है– चाहे चीन हो या जापान या कोरिया। ये सारे विरोधाभास नई आर्थिक व्यवस्था के दरवाज़े खट खटा रहे हैं और अभी उस प्रयास को लगभग 50 वर्ष होने चले हैं। शायद अब समय आने वाला है। इसके लिये चीन और भारत को एक साथ आना होगा। नहीं तो जैसे डब्ल्यूटीओ में दोहा डेवलपमेंट एजेंडा कई सालों के प्रयास के बाद ठंडे बक्शे में बंद हो गया। नये विकल्प की मांग भी धीरे–धीरे आपसी विवाद के घेरे में स्तब्ध या ध्वस्त हो जायेगी। फिर भी आशा तो रखनी ही होगी और पुरुषार्थ भी करना ही होगा। भारत यह नेतृत्व अपने कंधे पर ले सकता है।

वित्तीय समस्या के साथ–साथ प्रकृति के शोषण से पर्यावरण की समस्या भी बेक़ाबू होती जा रही है। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा, कहीं दावानल तो कहीं बर्फ़ के पिघलने से तटीय क्षेत्रों में समुद्र के जल स्तर के बढ़ने से लोगों के जीवन में त्रासदी बढ़ती जा रही है। इसी बीच करोना की महामारी से सारी दुनिया दो वर्ष तक परेशान रही और अब रुस और यूक्रेन युद्ध ने एक नई विभीषिका को जन्म दे दिया है।

इन सारी समस्याओं के मध्य में गुमनामी तरीक़े से मानवतावादी शक्तियाँ भी फिर से सजग हो रही हैं। भारत अब एक नई आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में उभर कर दुनिया को नेतृत्व देने की स्थिति में आ रहा है। सिर्फ़

(शेष पृष्ठ 26 पर ...)

असफल हो रहा है बिजनेस का 'कैश वर्निंग मॉडल'

पिछले लगभग डेढ़ वर्ष में नए जमाने की कई ऐसी कंपनियों, जिनमें अधिकांश नुकसान में फंसी ई–कॉमर्स कंपनियां थी, जिन्होंने अपना बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लिया था, ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानि 'सेबी' के कुछ प्रावधानों के अंतर्गत आईपीओ यानि इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया और आम निवेशकों ने इन कंपनियों के पूर्व में बढ़ते जा रहे बाज़ार मूल्यांकन से प्रभावित होकर बड़ी मात्रा में इनके शेयर खरीदकर निवेश किया। जुलाई 2021 में जोमैटो, नवंबर 2021 में नाइका, पेटीएम और पॉलिसीबाजार, मई 2022 में देहलीवरी ने जनता को शेयर जारी किए। निवेशकों ने बड़े चाव से इन शेयरों को खरीदा था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि जल्दी ही इन शेयरों में निवेशकों को भारी नुकसान सहना पड़ा। नवंबर 2022 तक पॉलिसीबाजार के निवेशकों की 69 प्रतिशत राशि डूब चुकी है, पेटीएम में 65.4 प्रतिशत की राशि डूबी, नाइका में 49.34 प्रतिशत, जोमैटो में 41. 39 प्रतिशत और देहलीवरी में 31.33 प्रतिशत का नुकसान निवेशकों को सहना पड़ा है। इस प्रकार जोमैटो के निवेशकों के लगभग 40911 करोड़ रुपए, पॉलिसीबाजार के निवेशकों के लगभग 37277 करोड़ रुपए, नाइका के निवेशकों के लगभग 51469 करोड़ रुपए, देहलीवरी के निवेशकों के लगभग 12175 करोड़ रुपए पेटीएम के निवेशकों के सबसे अधिक लगभग 66169 करोड़ रुपए नवंबर 2022 तक डूब चुके है। सरसरी तौर पर देखें तो पता चलता है कि ये सभी कंपनियां शेयर जारी होते समय भी नुक़सान में थी और अभी भी नुक़सान में हैं। वास्तव में इन कंपनियों का बिज़नेस मॉडल ही 'कैश बर्निंग मॉडल' है।

क्या है 'कैश बर्निंग मॉडल'?

बिजनेस का परंपरागत और सदाबहार तरीका तो लाभ अधिकतर करने का है, जिसके अंतर्गत कंपनियां अपनी प्राप्तियों को अधिकतम और खर्चों को न्यूनतम कर अधिकाधिक लाभ कमाने का प्रयास करती हैं। आर्थिक सिद्धांतों में हालांकि अधिकतम लाभ के अतिरिक्त अधिकतम बिक्री का उद्देश्य भी बताया जाता है, यानि उद्यमी तत्कालिक रूप से अधिकतम लाभ का त्याग कर अधिकतम बिक्री के भी प्रयास करते रहे, हालांकि उसमें भी तत्कालिक रूप से भी नुकसान नहीं लेते हुए, दीर्घकाल में लाभों को अधिकतम करने की उनकी रणनीति भी रही।

लेकिन पिछले दो दशकों से बिजनेस का एक नया मॉडल उभर कर आया, जो प्रारंभ में तो सफल भी होता दिखाई दिया और यह मॉडल था 'कैश वर्निंग मॉडल'। इसकी शुरूआत ई–कॉमर्स व्यवसाय में हुई। प्रारंभ में तो ऐसा लगा कि ई–कॉमर्स कंपनियां लोगों को शुरू में लुभाने के लिए उन्हें सस्ते में माल देती हैं, लेकिन बाद में वो उसकी भरपाई कर ही लेंगी। लेकिन जब कंपनियों ने परंपरागत व्यवसासियों यानि छोटे दुकानदारों, थोक व्यापारियों आदि को बाजार से बाहर करने की रणनीति के तहत दशकों तक नुकसान करते हुए अपने व्यवसाय को जारी रखा तो उनकी इस कार्यनीति को आर्थिक विश्लेषकों ने समझने का प्रयास किया। ऐसा ध्यान में आया कि कैश बर्निंग कोई अल्पकालिक नीति नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति है, जो प्रमोटरों को मालामाल कर रही हैं और व्यवसाय में भी भारी वृद्धि कर रही हैं।

'कैश बर्निंग मॉडल' को बाज़ार स्वीकार करने वाला नहीं है। यदि इन स्टार्टअप्स को भविष्य में अपने व्यवसाय को विस्तार देने हेतु निवेश प्राप्त करना है तो उसे अपने बिज़नेस मॉडल को बदलना होगा।
– स्वदेशी संवाद

कैश बर्निंग से कैसे हुए व्यवसायी मालामाल?

सामान्यतौर पर जब किसी व्यवसाय में रणनीतिक तौर पर नुकसान करते हुए एकाधिकार करने की कोशिश होती है, तो उसके साथ ही साथ पूंजी भी घटती है और अंतोत्गत्वा व्यवसायी की परिसंपत्तियां कम होती हैं। लेकिन पिछले दो दशकों से चल रहे 'कैश बर्निंग मॉडल' ने गणना का

तरीक़ा ही बदल दिया है। एक उदाहरण से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। दो युवाओं ने एक कंपनी बनाई, जिसका नाम था फिल्पकार्ट। अपने निजी संबंधों से कुछ राशि उन युवाओं ने उस कंपनी में लगाई और ई–कॉमर्स का व्यवसाय शुरू किया। बाजार कीमत से 20 से 30 प्रतिशत कम कीमत पर उन्होंने सामान बेचना शुरू किया। स्वभाविकतौर पर माल सस्ता बेचने के कारण, जो प्रारंभिक राशि उन्होंने लगाई थी वो समाप्त हो गई थी। उन्होंने बाजार में निवेशकों के साथ संपर्क साधा और उस व्यवसाय में राशि लगाने के लिए कहा। उस कंपनी की खासियत यह थी कि बड़ी संख्या में ग्राहकों की जानकारियां उनके पास थी और ग्राहकों का विश्वास भी उन्होंने अर्जित किया था। उस आधार पर कंपनी का मूल्यांकन किया गया और हिस्सेदारी के रूप में कुछ प्रतिशत शेयर निवेशकों को देकर एक बड़ी राशि प्राप्त की गई। बाद में वो राशि भी डिस्काउंट और हिंसक कीमतों में उड़ा दी गई, तब तक उस कंपनी का मूल्यांकन और अधिक बढ़ गया था और नए निवेशकों ने हिस्सेदारी के रूप में कुछ और प्रतिशत लिया और बड़ी राशि कंपनी को दे दी। यह प्रक्रिया चलती रही और अंत में वर्ष 2018 के अप्रैल माह के दौरान वालमार्ट नाम की विश्व की सबसे बड़ी खुदरा व्यापार कंपनी जो ई–कॉमर्स के व्यवसाय में आने की इच्छुक थी, ने कंपनी का मूल्यांकन 20 अरब डालर का किया और विभिन्न निवेशकों से समझौता कर फिल्पकार्ट कंपनी के 77 प्रतिशत शेयर 15.4 अरब डालर में खरीद लिए, जिसमें एक बड़ा हिस्सा उन दो प्रमोटर युवाओं को भी मिला।

यहां एक बात बताना लाभकारी रहेगा कि अगस्त 2017 में सॉफ्टबैंक नाम की एक निवेशक कंपनी ने फिल्पकार्ट कंपनी के 22 प्रतिशत शेयर फिल्पकाट के मूल्यांकन, 10 अरब डालर, के हिसाब से 2.2 अरब डालर में खरीदे थे। जब वालमार्ट ने इस कंपनी के 77 प्रतिशत शेयर 20 अरब डालर के मूल्यांकन के आधार पर खरीदे तो सॉफ्टबैंक को 2.2 अरब डालर के निवेश के बदले अब 4.4 अरब डालर मिल गए।

समझा जा सकता है कि इस 'कैश वर्निंग मॉडल' में अभी तक किसी को नुकसान नहीं हुआ था। उपभोक्ताओं को सस्ता सामान मिल रहा था, प्रमोटरों को ज्यादा वैल्युएशन मिल रही थी और निवेशकों के निवेश पर भी भारी लाभ उन्हें मिल रहा था। आर्थिक एवं बिजनेस विश्लेषक इस मॉडल के गुणगान कर रहे थे। लेकिन कहानी इसके बाद भी है।

अंतोत्गत्वा क्या हुआ?

पिछले लगभग डेढ़ वर्ष में ऐसी कई कंपनियों, जिन्होंने कैश बर्निंग मॉडल के बलबूते अपना व्यवसाय बढ़ाया, और वैल्यूएशन के प्रच्छन्न और अनोखे तरीक़े से उनका मूल्यांकन ज़रूरत से अधिक होता रहा और इन्हें बड़ी मात्रा में निवेश भी मिलता रहा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इन कंपनियां में निवेशक बंद कमरे में निवेश कर रहे थे, तो ये कंपनियां अच्छी वैल्यूएशन प्राप्त कर रही थी, लेकिन जैसे ही बाजार में इसका मूल्यांकन हुआ तो उसका परिणाम सामने आ गया है। इन कंपनियों के शेयरों में इतनी कम अवधि में इतना बड़ा नुकसान उनके बिजनेस मॉडल पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहा है। समझना होगा कि ये सब वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने व्यवसाय को और उसके मूल्यांकन को कैश बर्निंग मॉडल के आधार पर बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन जब बाजार ने इसकी समीक्षा की तो इन्हें उससे बहुत कम आंका। समझना होगा कि लंबे समय तक कैश बर्निंग के आधार पर बिजनेस को आगे बढ़ाना और उसके लिए और अधिक निवेश प्राप्त करना आने वाले समय में कठिन होता जाएगा। कहा जा सकता है कि इस 'कैश बर्निंग मॉडल' को बाज़ार स्वीकार करने वाला नहीं है। यदि इन स्टार्टअप्स को भविष्य में अपने व्यवसाय को विस्तार देने हेतु निवेश प्राप्त करना है तो उसे अपने बिज़नेस मॉडल को बदलना होगा। या यूँ कहें तो 'कैश बर्निंग' को बंद करना होगा। ❑❑

(पृष्ठ 24 से जारी ...)

तीसरा विकल्प - खोज जारी है...

भौतिक उन्नति दुनिया में शान्ति नहीं ला सकती। उपभोक्तावाद और बाज़ारवादी संस्कृति से चारों तरफ़ असंतोष और हिंसा का वातावरण बनता जा रहा है। भारतीय संस्कृति निःश्रेयस अभ्युदय का संदेश देती है। हमें दीर्घकालीन विकाश को दृष्टि में रखकर अपनी जीवन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। ऊर्जा के नये श्रोतों की खोज और नये अविष्कारों के आधार पर प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते हुए एक ऐसी नई व्यवस्था बनानी होगी जहां सभी राष्ट्र स्वावलंबी बनें और परस्पर सहयोग के आधार पर पूंजीवाद और साम्यवाद के ख़तरों से बचकर एक तीसरे विकल्प को अपनायें, जो एकात्म मानव दर्शन पर आधारित हो। भारत अब जी–20 देशों का नेतृत्व कर रहा है। विश्व की सबसे तेज रफ़्तार से आर्थिक उन्नति करने वाला राष्ट्र बन गया है। आज़ादी के 75वें अमृतोत्सव में आगामी वर्षों में विश्व की एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। नई तकनीक और अपनी युवा शक्ति के आधार पर भारत एक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनकर सारी दुनिया को एक शान्ति और विकाश का पथ प्रदर्शन करेगा, ऐसा हम सभी को विश्वास है। ❑❑

लेखक स्वदेशी जागरण मंच के अ.भा. सह–संयोजक हैं।

अमृत सरोवर योजना

देश में 25,000 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण पूरा कर लिया गया है। 15 अगस्त 2023 तक 50000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 20 दिसंबर 2022 तक अमृत सरोवरों के निर्माण के लिए लगभग 90540 स्थलों की पहचान की गई है जिनमें 52,255 स्थलों पर काम शुरू हो गया है। सरकार के दृष्टिकोण पर आधारित इस मिशन में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ जल शक्ति मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा तकनीकी सहयोग के लिए भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान मिलकर एकसाथ काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित अखिल भारतीय जल सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल दृष्टिकोण 2047 पर राज्यों के जल मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि हर घर को पानी उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन एक प्रमुख विकास का पैमाना बन गया है। उन्होंने जियोसेंसिंग और जियोमैपिंग जैसी तकनीकों का उपयोग करने की जरूरत का ज़िक्र किया वहीं हाल ही में संपन्न हुए मन की बात कार्यक्रम में जल मिशन के लिए जन भागीदारी का आह्वान किया है।

मालूम हो कि जल संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वें वर्ष में आयोजित आजादी अमृत महोत्सव के अवसर पर 24 अप्रैल सन 2022 को देश के प्रत्येक जनपद में 75 अमृत सरोवर बनाए जाने की योजना की घोषणा की है, जिन्हें अगस्त 2023 तक निर्मित कर राष्ट्र को समर्पित करना है। किंतु दुर्भाग्य से दिनोंदिन जल एवं वायु के प्रदूषित होने के साथ ही साथ उनकी उपलब्धता भी निरंतर कम होती जा रही है। जिसके दृष्टिगत जल संरक्षण तथा संवर्धन हेतु अमृत सरोवर योजना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में 75 सरोवरों का निर्माण किया जाना अपेक्षित है, साथ ही प्रत्येक जिला पंचायत द्वारा भी पांच अमृत सरोवरों का निर्माण कराया जाएगा।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

भारत में प्राचीन काल से ही जल स्थानों यथा वापी कूप सरोवर के निर्माण की प्रवृत्ति एवं परंपरा रही है । कठोपनिषद में जल संस्थानों के निर्माण को लोक और परलोक दोनों के लिए ही कल्याणकारी तथा पुण्यदायक माना गया है। महाकवि बाण द्वारा रचित कादंबरी मैं सरोवरों की जल धारण की क्षमता के आधार पर उनके अनेक प्रकार बताए गए तथा वापी कूप तड़ाग आदि के निर्माण को लोक कल्याणकारी बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत लोथल में भी एक प्राचीन कुंवां तथा जल प्रवाह प्रणाली प्राप्त हुई है, जो जल संरक्षण कार्य को अभिव्यक्त करती है। इसी परंपरा में प्रधानमंत्री ने प्रत्येक जिले में कम से कम 75 तालाबों का निर्माण या विकास करने की योजना प्रस्तुत की है। इस योजना के अंतर्गत निर्मित या विकसित किए जा रहे प्रत्येक तालाब में कम से कम 1 एकड़ अधिकतम 5 एकड़ जल क्षेत्र अवश्य होगा , जिसमें लगभग 10,000 घन मीटर तक की जल धारण क्षमता होगी।

अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में 75 सरोवरों का निर्माण किया जाना अपेक्षित है, साथ ही प्रत्येक जिला पंचायत द्वारा भी पांच अमृत सरोवरों का निर्माण कराया जाएगा। पूरे देश में इस योजना के अंतर्गत 50,000 सरोवरों का निर्माण न्यूनतम 1 एकड़ तथा 5 एकड़ से कम भूमि में किया जाएगा। सरोवर के चारों ओर मजबूत बांध बनाकर उसमें पौधारोपण किया जाएगा तथा सरोवर के माध्यम से प्रत्येक वर्ष वर्षा जल को संरक्षित किया जाएगा। इन सरोवरों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया जाएगा तथा यहां पर 15 अगस्त को एक उत्सव के रूप में झंडारोहण संपन्न किया जाएगा।

अमृत सरोवरों के निर्माण हेतु भूमि चयन करते समय पुराने तालाबों का विकास संरक्षण भी इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत 1 एकड़ से अधिक तथा 5 एकड़ से कम जल ग्रहण क्षमता की भूमि वाले तालाबों का भी विकास अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत किया जाना है, जिससे मृत प्राय तालाबों का भी संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक लगभग 40,000 तालाब लुप्त हो चुके हैं। ऐसे विलुप्त तालाबों की स्थिति को देखते हुए समय–समय पर देश के न्यायालयों ने निर्णय पारित कर उन्हें पुनर्जीवित करने के आदेश भी दिए हैं।

इन सरोवरों के निर्माण में मनरेगा तथा 15वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग हो रहा है। उत्तर प्रदेश में राजस्व अभिलेखों के अनुसार 6 लाख तालाब हैं, जिनमें से अपेक्षित क्षेत्रफल में भूमि रखने वाले 6000 तालाबों का अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत विकास मनरेगा के अंतर्गत किया जाना है। कार्य की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 8462 झीलों के निर्माण हुए हैं। देश में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष निर्मित सरोवरों की संख्या की दृष्टि से देश के सर्वोत्तम 10 प्रदेशों मं हुए निर्माण की स्थिति इस प्रकार है;– उत्तर प्रदेश– 15415 : 8462, मध्य प्रदेश– 5974 : 1566, जम्मू–कश्मीर– 3586 : 1383, राजस्थान– 5049 : 833, तमिलनाडु– 3739 : 799, गुजरात– 2776 : 742, बिहार– 3374 : 719, महाराष्ट्र– 3469 : 629, हिमाचल प्रदेश– 1457 : 615, कर्नाटक– 4703 : 589।

अमृत सरोवर योजना से जहां एक ओर वर्षा का जल संरक्षित होगा वहीं दूसरी ओर भूगर्भ का जल भी वर्षा जल के भूगर्भ में समाहित हो जाने से संवर्धित होगा, किंतु ऐसा होने के लिए आवश्यक है कि प्रशासनिक व्यवस्था के साथ–साथ समाज भी अमृत सरोवरों के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें तथा अपने स्तर पर योगदान देते हुए इनके निर्माण में भी अपनी सतर्क दृष्टि रखें, जिससे सरकार की योजना के अनुसार ही सरोवरों का निर्माण किया जाए, क्योंकि व्यवहार में इसके विपरीत देखने को मिल रहा है।

उल्लेखनीय है कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री द्वारा योजना की घोषणा के 20 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के रामपुर में प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन संपन्न हो गया। निश्चित रूप से इस सरोवर का निर्माण एवं विकास अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत न होकर पूर्व से संचालित किसी अन्य योजना के अंतर्गत किया जा रहा था, जिसका निर्माण ग्राम निधि से किया जा रहा था, क्योंकि इसका क्षेत्रफल अमृत सरोवर योजना के लिए निर्धारित न्यूनतम क्षेत्रफल 1 एकड़ से कम है, जिसमें वर्षा जल के पहुंचने की सम्यक् व्यवस्था नहीं है। सूखे तथा भीषण गर्मी से उत्पन्न जलाभाव में वर्षा की प्रतीक्षा किए बिना तालाब में ट्यूबवेल आदि से भूगर्भ के जल को निकाल कर भरा गया है,किंतु वाह वाही लूटने के उद्देश्य से संबंधित निर्माण एवं विकास को अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत बताकर उसका उद्घाटन करा दिया गया। यह तो एक तथ्य है किंतु इसके विपरीत वर्षों से गंदे गड्ढे के रूप में विद्यमान कचरा संग्रहित किए जाने वाले गड्ढे को तालाब के रूप में पुनर्जीवित कर जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसी प्रकार बदायूं जनपद के अमृतसर सरोवरों की भी लगभग स्थिति यही है, पूर्व वर्षों में मनरेगा के अंतर्गत बनाए गए तालाबों में खर्च की गई धनराशि के सापेक्ष वर्षा जल संकलित नहीं हो सका और आज भी पूर्व निर्मित तालाब पानी से पूर्णरूपेण रिक्त हैं। मनरेगा के अंतर्गत पूर्व वर्षों में अनेक जनपदों में बनाए गए तालाबों की भी लगभग यही स्थिति है जहां मनरेगा के कार्य के नाम पर भारी धनराशि खर्च कर दी गई किंतु तालाबों में पानी इकट्ठा नहीं हो सका, जो जांच का विषय हो सकता है। आवश्यकता है मनरेगा के अंतर्गत पूर्व में खोदे गए तालाबों की स्थिति का भली–भांति परीक्षण कर उनके निर्माण में व्यय किए गए धन के दुरुपयोग एवं सदुपयोग का आकलन कर ही नव निर्माण कराया जाए।

अमेठी जनपद में अमृत सरोवरों का निर्माण रात के अंधेरे में जेसीबी मशीन द्वारा कराए जाने की बात सामने आ रही है, जो अमेठी जनपद के साथ ही साथ देश के अन्य जनपदों में भी हो सकती है, जिससे अमृत सरोवरों के निर्माण में निहित मनरेगा के माध्यम से श्रमिक वर्ग को रोजगार दिए जाने की अवधारणा एवं विचार के मूल को ही नष्ट करने जैसा है। इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था के साथ ही साथ समाज के लिए यह आवश्यक है कि वह अमृत सरोवरों के निर्माण एवं विकास पर दृष्टि रखें, जिससे उनके द्वारा सृजित रोजगार को भी अमृत सरोवर योजना की मूल भावना के अनुरूप मनरेगा द्वारा आम श्रमिक के लिए सुलभ बनाया जा सके। ❑❑

9 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस पर विशेष लेख

भारत के आर्थिक विकास में प्रवासी भारतीय कर रहे हैं महत्वपूर्ण योगदान

आज भारतीय मूल के नागरिक न केवल अपने अपने देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं बल्कि अपने वतन अर्थात भारत माता की सेवा करने में भी किसी प्रकार की कमी नहीं रखते हैं। इसी क्रम में अभी हाल ही में विश्व बैंक ने एक प्रतिवेदन जारी कर बताया है कि विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा वर्ष 2022 में 10,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि का विप्रेषण भारत में किए जाने की संभावना है जो पिछले वर्ष 2021 में किए गए 8,940 करोड़ अमेरिकी डॉलर के विप्रेषण की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है। पूरे विश्व में विभिन्न देशों द्वारा विप्रेषण के माध्यम से प्राप्त की जा रही राशि की सूची में भारत का प्रथम स्थान बना हुआ है।

प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत के आर्थिक विकास में प्रवासी भारतीयों के अमूल्य योगदान को इस दिन विशेष रूप से याद किया जाता है। दिनांक 8 जनवरी से 10 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की भी भागीदारी रही।

आज पूरे विश्व में 3.2 करोड़ से अधिक अप्रवासी भारतीय निवास कर रहे हैं। करीब 25 लाख भारतीय प्रतिवर्ष भारत से अन्य देशों में प्रवास के लिए चले जाते हैं। विदेश में बस रहे भारतीयों ने भारतीय संस्कृति का झंडा बुलंद करते हुए भारत की साख को न केवल मजबूत किया है बल्कि इसे बहुत विश्वसनीय भी बना दिया है। प्रवासी भारतीयों ने अपनी कार्यशैली से अन्य देशों में स्वयं को तो स्थापित किया ही है, साथ ही इन देशों में अपने लिए कई अनगिनित उपलब्धियां भी अर्जित की हैं। इन देशों में निवास कर रहे प्रवासी भारतीय वहां के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में अपनी भागीदारी भी बढ़ाते जा रहे हैं।

अमेरिका एवं ब्रिटेन जैसे अन्य कई देशों में तो आज सबसे अधिक डाक्टर एवं इंजीनीयर भारतीय मूल के लोग ही हैं एवं इन देशों के वित्तीय क्षेत्र में भी भारतीय मूल के नागरिक सबसे अधिक पाए जाते हैं।

–प्रहलाद सबनानी

तीन विभिन्न कालखंडों में भारतीय विभिन्न देशों में प्रवास पर भेजे गए थे अथवा वे स्वयं गए थे। सबसे पहिले तो भारत पर अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान लाखों की संख्या में भारतीय, श्रमिकों के तौर पर, ब्रिटिश कालोनियों (ब्रिटेन द्वारा शासित देशों) में भेजे गए थे। आज इन देशों में भारतीयों की आगे आने वाली पीढ़ियां बहुत प्रभावशाली बन गई हैं एवं इनमें से कुछ तो इन देशों में प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति के पदों तक पहुंच गए हैं।

भारत द्वारा अंग्रेजों से राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, एक बड़ी संख्या में भारतीय अन्य देशों में जाकर प्रवासी भारतीय के तौर पर बस गए थे। उस समय पर इनमें से एक बहुत बड़ा वर्ग किसी न किसी प्रकार की तकनीकी दक्षता जैसे कारीगर, पलंबर, इलेक्ट्रिशियन, आदि हासिल किए हुए था। इन लोगों को "ब्लू कोलर" रोजगार आसानी से उपलब्ध हो रहे थे और ये भारतीय एक बड़ी संख्या में अधिकतर सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर एवं अन्य मिडिल ईस्ट देशों में प्रवासी भारतीय बनकर रहने लगे। उस समय पर इन देशों में प्रवासी भारतीयों को छोटे छोटे दुकानों पर भी रोजगार आसानी से उपलब्ध हो रहा था।

इसके बाद 1970 के दशक एवं इसके बाद के कालखंड में भारत से बुद्धिजीवी, प्रोफेशनल एवं पढ़े लिखे वर्ग के लोग भी अन्य देशों की ओर आकर्षित होने लगे एवं अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रान्स, इटली आदि देशों में जाकर प्रवासी भारतीय के रूप में बस गए। आज ये प्रवासी भारतीय इन देशों में इंजीनीयर, डॉक्टर, प्रोफेसर, आदि अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। इनमें से कई तो आज इन देशों की बड़ी बड़ी कम्पनियों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में भी बहुत सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। अमेरिका एवं ब्रिटेन जैसे अन्य कई देशों में तो आज सबसे अधिक डाक्टर एवं इंजीनीयर भारतीय मूल के लोग ही हैं एवं इन देशों के वित्तीय क्षेत्र में भी भारतीय मूल के नागरिक सबसे अधिक पाए जाते हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को गति देने में इन प्रवासी भारतीयों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें आज भारतीय मूल के नागरिक इन देशों में लगातार बहुत सफल हो रहे हैं वह है राजनीति का क्षेत्र।

उक्त तीन कालखंडो में भारत से विभिन्न देशों में गए भारतीयों ने महान भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए इन देशों में भारतीय मूल के नागरिक के तौर पर अपना एक विशेष स्थान बना लिया है एवं इन्होंने इन देशों के नागरिकों के बीच एक विशेष दर्जा एवं विश्वास हासिल कर लिया है।

प्रवासी भारतीयों का भारत की विभिन्न कंपनियों में विदेशी निवेश भी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। इसका अच्छा प्रभाव यह भी देखने में आ रहा है कि प्रवासी भारतीयों के देखादेखी इन देशों के मूल निवासी भी भारत में अपने विदेशी निवेश को बढ़ा रहे हैं जिसके चलते भारत में कुल विदेशी निवेश द्रुत गति से बढ़ रहा है। इन विभिन्न देशों में प्रवासी भारतीय, भारत एवं इन देशों के बीच विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश के मामले में एक सेतु का कार्य कर रहे हैं। भारतीय मूल के लोग इन देशों के कई संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं एवं इस इन संस्थानों को भारत के प्रति नरम रूख अपनाने की प्रेरणा भी देते रहते हैं।

भारत को यदि विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा विप्रेषण के माध्यम से अधिक राशि भेजी जा रही है तो इससे भारत की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो रही है क्योंकि इससे भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार लगातार बढ़ रहा है, जो कि भारतीय रुपए को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिरता प्रदान करने में मददगार साबित हो रहा है एवं भारत में अर्थव्यवस्था को गति एवं मजबूती प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। साथ ही इससे भारत में नया निवेश बढ़ रहा है एवं जिससे यहां रोजगार के नए अवसर निर्मित हो रहे हैं। इस प्रकार भारत से बाहर रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों द्वारा भी भारत के आर्थिक विकास में अपना अतुलनीय योगदान दिया जा रहा है।

विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद एक बड़ा बदलाव भी देखने में आ रहा है। वह यह कि अब भारतीय मूल के लोग इन देशों में भारत की आवाज बन रहे हैं इससे इन देशों में भारत की छवि में लगातार सुधार दृष्टिगोचर है। पूर्व के खंडकाल में भारत की पहिचान एक गरीब एवं लाचार देश के रूप में होती थी। परंतु, आज स्थिति एकदम बदल गई है एवं अब भारत को इन देशों में एक सम्पन्न एवं सशक्त राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय संस्कृति की विचारधारा का प्रवासी भारतीय आज सही तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

आज अमेरिका, यूरोप एवं अन्य विकसित देश कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं एवं इन समस्याओं का हल निकालने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। दरअसल विकास का जो मॉडल इन देशों ने अपनाया हुआ है, इस मॉडल में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे कई छिद्रों को भर नहीं पाने के कारण इन देशों में कई प्रकार की समस्याएं बद से बदतर होती जा रही है। जैसे नैतिक एवं मानवीय मूल्यों में लगातार ह्रास होते जाना, सुख एवं शांति का अभाव होते जाना, इन देशों में निवास कर रहे लोगों में हिंसा की प्रवृति विकसित होना एवं मानसिक रोगों का फैलना, मुद्रा स्फीति, आय की बढ़ती असमानता, बेरोजगारी, ऋण का बढ़ता बोझ, डेफिसिट फायनान्सिग, प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से क्षरण होना, ऊर्जा का संकट पैदा हो जाना, वनों के क्षेत्र में तेजी से कमी होना, प्रतिवर्ष जंगलों में आग का लगना, भूजल का स्तर तेजी से नीचे की ओर चले जाना, जलवायु एवं वर्षा के स्वरूप में लगातार परिवर्तन होते रहना, आदि। इन सभी समस्याओं के मूल में विकसित देशों द्वारा आर्थिक विकास के लिए अपनाए गए पूंजीवादी मॉडल को माना जा रहा है।

भारत चूंकि हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों का देश है और इसे राम और कृष्ण का देश भी माना जाता है, इसलिए यहां हिंदू परिवारों में बचपन से ही "वसुधैव कुटुम्बमक", "सर्वे भवन्तु सुखिनः" एवं "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" की भावना जागृत की जाती है। अतः विभिन्न देशों में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों के लिए अब उचित समय आ गया है कि वे आगे बढ़कर महान भारतीय सनातन संस्कृति का पालन करते हुए इन देशों की उक्त वर्णित समस्याओं का हल निकालने में अपना योगदान दें। उक्त प्रकार की समस्यायों का हल निकलने के बाद इन देशों के नागरिकों का भारतीय सनातन संस्कृति की ओर रुझान और अधिक तेजी से बढ़ेगा। ❑❑

लेखकः सेवा निवृत्त उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्वालियर (म.प्र.)

स्वतन्त्रता संग्राम के प्रमुख प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानन्द

12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में अवतरित वेदान्त के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानन्द का बचपन का नाम वीरेश्वर रखा गया, किन्तु उनका औपचारिक नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन् 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदान्त दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानन्द के वक्तृत्व कला के कारण ही पहुँचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी जो आज भी जगत के कल्याण के लिए क्रियाशील है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें विश्व धर्म महासभा में 2 मिनट का समय दिया गया था किन्तु उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण का आरम्भ "मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों" के साथ करने के लिये जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था।

4 जुलाई 1902 को देवलोकगामी 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवनकाल में स्वामी विवेकानन्द जो काम कर गये वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। तीस वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानन्द ने शिकागो, अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवायी। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था–"यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानन्द को पढ़िये। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पायेंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं।" रोमां रोलां ने उनके बारे में कहा था "उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असम्भव है, वे जहाँ भी गये, सर्वप्रथम ही रहे। हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता था। वे ईश्वर के प्रतिनिधि

"उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ। अपने नर–जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाये।"

– हेमंत क्षीरसागर

थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। हिमालय प्रदेश में एक बार एक अनजान यात्री उन्हें देख ठिठक कर रुक गया और आश्चर्यपूर्वक चिल्ला उठा–'शिव!' यह ऐसा हुआ मानो उस व्यक्ति के आराध्य देव ने अपना नाम उनके माथे पर लिख दिया हो।"

अभिभूत, स्वामी विवेकानन्द केवल सन्त ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव–प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा था "नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भड़भूँजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से; निकल पडे झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से।" और जनता ने स्वामी की पुकार का उत्तर दिया। वह गर्व के साथ निकल पड़ी। महात्मा गान्धी को आजादी की लड़ाई में जो जन–समर्थन मिला, वह विवेकानन्द के आह्वान का ही फल

महात्मा गांधी को आजादी की लड़ाई में जो जन-समर्थन मिला, वह विवेकानन्द के आह्वान का ही फल था। इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा के स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्यभूमि है।

था। इस प्रकार वे भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा के स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्यभूमि है। यहीं बड़े–बड़े महात्माओं व ऋषियों का जन्म हुआ, यही संन्यास एवं त्याग की भूमि है तथा यहीं–केवल यहीं–आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के लिये जीवन के सर्वोच्च आदर्श एवं मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। उनके कथन "'उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ। अपने नर–जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाये।"

यथेष्ट, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमे डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता ही मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, घृणा मृत्यु है। शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता ही मृत्यु है। स्तुत्य, स्वामी जी ने जन जागरूकता बढ़ाने, हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने और राष्ट्रवाद के विचार में अतुलनीय योगदान दिया। जो मानव कल्याण के निहितार्थ सदा–सर्वदा कालजयी रहेगा। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

जरूरी हो गया है चीन का बहिष्कार

कुछ हद तक चीन एक साम्राज्यवादी देश है। उसका उसके पडोसी राष्ट्रों के साथ सीमा विवाद है। कुछ न कुछ बहाना बनाकर विवाद उत्पन्न करना और धोखे से पडोसी राष्ट्र की भूमि हथियाना ये चीन की पद्धति है। अंग्रेजों के कालखंड में 1914 में भारत और तिब्बत की सीमा रेखा निश्चित करने का काम जिस अधिकारी को सौंपा गया, उसका नाम मॅकमोहन था। इसलिये इस सीमा रेखा को मॅकमोहन लाईन अथवा मॅकमोहन रेखा भी कहा जाता है। 1950 में तिब्बत चीन का हिस्सा बना। वास्तव में जो भारत और तिब्बत की सीमा रेखा थी वहीं सीमा रेखा चीन और भारत की होनी चाहिये थी। लेकिन चीन ने मॅकमोहन लाईन को स्वीकार नहीं किया। वो कहता है कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था और गुलाम को अपनी सीमा रेखा निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं होता। इसलिये वो इस मॅकमोहन लाईन को नहीं मानता। मॅकमोहन लाईन कागज की रेखा है। सीमा पर वास्तविकता में कोई भौगोलिक चिन्ह या कटीले तार विद्यमान नहीं है। जिसके कारण सीमा को पहचाना जा सके। इसी कारण चीन इसका फायदा उठाकर बार–बार भारत की सीमा में घुसपैठ करता है। बहुत बार उसे जब ये समझाया जाता है कि ये भूमि भारत की भूमि है तब भी वो इसे मानता नहीं और पीछे जाने से मना करता है। गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद चीन को यह अच्छी तरह से पता लग गया है कि वो अगर कुछ भी करेंगे तो भारत की सेना सह लेंगी ऐसा नही है। भारत जवाब देगा ही। जैसा कि 9 दिसंबर को तवांग में चीन ने भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की, तब हमारे सैनिकों ने उसे अच्छा सबक सिखाया। आज सेना के पीछे पूरा देश और सरकार खडी है। इसलिये सेना का मनोबल भी ऊंचा है। केंद्र सरकार ने सेना को पूरे अधिकार दे रखे है। जिसके कारण वह योग्य परिस्थिति में योग्य निर्णय ले सकती है। आज का भारत यह 1962 का भारत नहीं है। आज का भारत यह 2022 का सक्षम भारत है। 1962 की लडाई में चीन ने भारत का 38800 वर्ग किमी भू–भाग हथियाया है। अक्साई चीन भारत का ही हिस्सा था अब वो चीन के पास है। लेकिन फिर भी भारत ने अपना दावा छोडा नहीं है। भारत दावा करता है इसलिये चीन भी अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा प्रस्तुत करता है। दोनों देशों के बीच जो सीमा रेखा है उसे लाईन ऑफ

चीन में तानाशाही है। चीन दुनिया के पर्यावरण का दुश्मन है। चीन मानवाधिकार का उल्लंघन करता रहता है। चीन आतंकवाद को समर्थन देते रहता है। चीन हमारी सीमा सुरक्षा के लिए खतरा है।

– अमोल पुसदकर

एक्च्युअल कंट्रोल कहा जाता है। यह लाईन बडे–बडे पहाडों से, ग्लेशियर से, नदी और पर्वतों से होकर गुजरती है। लाईन ऑफ एक्च्युअल कंट्रोल पेंगांग स्थित झील से भी गुजरती है। यही से एक रास्ता त्रिशूल घाटी की तरफ जाता है। जहाँ से 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था।

2020 में भारत और चीन के सैनिको में जो संघर्ष हुआ था वो गलवान घाटी अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में है। यहां से पाकिस्तान भी बहुत पास में है। इसलिये गलवान घाटी पर नजर रखना सुरक्षा की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। 1962 में इसी गलवान घाटी से चीन ने भारत पर हमला किया था। इसी घाटी के बीच में चीन ने बहुत सारे रास्ते, बंकर और सैनिकों के लिए आवश्यक सुविधायें बनाई हुई है। लेकिन वो भारत से कहता है कि तुम "जैसे थे" उसी परिस्थिति को कायम रखो। इस प्रदेश में कोई भी निर्माण कार्य भारत नहीं करेगा ऐसा चीन का कहना है। 2017 में चीन ने सिक्किम और भूटान के बीच जो डोकलाम नाम का प्रदेश है वहां पर रस्ता बनाने का प्रयास किया था। भारत ने इसका विरोध किया। यह विवाद 70–80 दिन तक चला और आखिर में बहुत सारी चर्चा होने के बाद समाप्त हो गया। डोकलाम भारतीय पर्वत पर है और चीन नीचे, इसलिये यहां पर हमारी परिस्थिती बहुत अच्छी है। भूटान और बांग्लादेश के बीच में जो छोटा सा भारतीय प्रदेश है उसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। अगर डोकलाम में चीन रस्ता बना लेता तो इस चिकन नेक के लिए खतरा पैदा होता। जिस तवांग में भारत और चीन के सैनिको के बीच में संघर्ष हुआ उस तवांग और तिब्बत की सांस्कृतिक एकता बहुत ज्यादा है। तवांग बौद्ध लोगों का एक प्रमुख केंद्र है। चीन तवांग को हथिया कर तिब्बत और तवांग के सारे बौद्ध मठों पर अपना अधिकार करना चाहता है। सिक्किम और दक्षिण तिब्बत के बीच में नाथूला नाम का दर्रा है। जहां से 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। यहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में संघर्ष की खबरे आती रहती है। नाथूला हो या डोकलाम, गलवानघाटी हो या तवांग, चीन भारतीय सीमा पर अस्थिरता पैदा करने में लगा रहता है। उसका उद्देश स्पष्ट है कि भारत का पूरा ध्यान विकास से हटाकर सीमा पर लग जाये और चीन दुनिया में अपना व्यापार कायम रख पाये। चीन हमारी सीमाओं में घुसकर हमारे सैनिको के साथ संघर्ष करके भारतीय जनता का भी अपमान कर रहा है। चीन के इस अपमान का बदला लेने की जरूरत है। इसलिये चीन को एक धक्का देने की जरूरत है। और वो धक्का सामान्य नागरिक बाजारों में दे सकता है। बाजार में जाकर अगर हम कहेंगे कि "से नो टू चायना प्रॉडक्ट्स" चीनी वस्तु का संपूर्ण बहिष्कार, तो ये चीन के लिए एक बहुत बडा धक्का साबित होगा। जितना हम चायना माल खरीदेंगे उतना चीन पैसे वाला और अमीर बनेगा। अमीर बनते ही उसका गर्व और उसकी मस्ती और बढेगी और उसका परिणाम सीमा पर हमारे सैनिकों को संघर्ष के रूप में भुगतना पडेगा। चीन हमारे सैनिकों को अगर धक्का देता है तो हम भी उसके वस्तुओं को धक्का देंगे ये मानसिकता बनानी पडेगी। किसी संस्था ने आवाहन पर नहीं बल्कि हमें स्वयं से यह निर्णय लेना होगा कि हमारे दैनंदिन जीवन में हम चीनी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। एक बार नहीं करेंगे और कभी भी नहीं करेंगे, इस प्रकार की प्रतिज्ञा जनता को लेने की जरूरत है।

चीन में तानाशाही है। चीन दुनिया के पर्यावरण का दुश्मन है। चीन मानवाधिकार का उल्लंघन करता रहता है। चीन आतंकवाद को समर्थन देते रहता है। चीन हमारी सीमा सुरक्षा के लिए खतरा है। चीन ने हमारे साथ में लडाई कर हमारा भू–भाग हमसे छींना है। चीन हमारे छोटे उद्योगों का दुश्मन है। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए हमें चीनी वस्तु का बहिष्कार करना चाहिए। टाटा जैसे देशभक्त समूह ने, हमारी कंपनी में हम चायनीज मशीने उपयोग में नही लायेंगे का प्रण किया है। बहुत सारे स्टील उद्योगों ने भी हम चायनीज मशीनरी का उपयोग नहीं करने का निश्चय किया है। ये अच्छे संकेत है। लेकिन इसे और बढाने की जरूरत है। चीन का चेहरा कोरोना के बाद विश्व में खराब हो चुका है। इसलिये चीन में कार्य कर रही कंपनियां किसी और सुरक्षित भूमि की तलाश में है। वो सुरक्षित भूमि भारत हो सकता है। इसलिये चीन को बाजारों में मात देने की जरूरत है। अगर बाजार में भारतीय वस्तु न हो तो हमें विदेशी वस्तु खरीदते समय वो भारत के मित्र देश की हो, यह देखना भी आवश्यक है। तात्पर्य ऐसा है कि चीनी वस्तु हम न खरीदे। भारत आज विकसित हो रहा है। आने वाले दिनों में भारत एक बहुत बडी महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। इसे मूर्तरूप देने के लिए जनता को स्वदेशी का मार्ग अपनाना आवश्यक है। जरुरत से देशी और मजबूरी में विदेशी यही हमारा मंत्र होना चाहिये। चायना वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान निरंतर चलना चाहिए। और चीन को भी एक सबक मिलना चाहिए कि सीमा पर भारतीय जवान को दिया हुआ धक्का याने भारतीय बाजार में उसकी वस्तुओं का जनता द्वारा बहिष्कार। ये उसका अर्थ होगा। यह अभियान निरंतर चलाने के लिए लोकसहभाग, लोकप्रबोधन, लोकजागरूकता आदि बातें करने की आवश्यकता है। जवान सीमा पर अपना काम करेगा लेकिन हमें बाजार में अपना काम दिखाने की आवश्यकता है। ❑❑

अमोल पुसदकर, नागपूर

क्लाइमेंट चेंज को हमें गंभीरता से लेना चाहिए – प्रो. अश्वनी महाजन

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के प्रबंधन विभाग द्वारा जी–20 और आत्मनिर्भर भारत पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक प्रो. अश्वनी महाजन थे। अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. केजी सुरेश ने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रो. सुरेश ने कहा कि जीएम फूड्स, जीएम मस्टर्ड एवं डब्ल्यूटीओ आदि नीति बनाने में स्वदेशी जागरण मंच की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को हानि पहुंचाने वाले चाइनीज एप्स को बंद कराने में भी मंच ने अहम भूमिका निभाई है। प्रो. सुरेश ने कहा कि मैन्यूफेक्चरिंग में हम आगे बढ़ रहे हैं और इस समय हम चीन को भी टक्कर दे रहे हैं।

मुख्य वक्ता स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक प्रो. अश्वनी महाजन ने जी–20 एवं आत्मनिर्भर भारत विषय पर बात करते हुए कहा मैन्यूफेक्चरिंग में 6 से 7 गुणा रोजगार सृजन होता है। उन्होंने कहा कि हमारा ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुम्बकम है। क्लाइमैट चेंज पर उन्होंने कहा कि इस विषय पर चिंतित सभी हैं लेकिन इसकी गंभीरता को लेकर अभी भी लोग ज्यादा जागरुक नहीं हैं। प्रो. महाजन ने कहा कि अतिवृष्टि, प्राकृतिक आपदाएं से विश्व और मानव का ही नुकसान होता है, इसलिए क्लाइमेंट चेंज को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधन विभाग की प्रोफेसर डॉ. कंचन भाटिया ने किया। आभार प्रदर्शन प्रबंधन विभाग के विभागाध्यक्ष एवं कुलसचिव प्रोफेसर डॉ. अविनाश वाजपेयी द्वारा किया गया।

https://www.bhaskarhindi.com/education/news/we-should-take-climate-change-seriously-prof-ashwani-mahajan-443500

स्वदेशी जागरण मंच ने खोला रोजगार सृजन केंद्र

युवा देश में उद्यमिता, स्वदेशी, सहकारिता की राह पर चलते हुए स्वरोजगार चला सकें, इसके लिए स्वदेशी जागरण मंच ने नई पहल शुरू की है। मंच की ओर से जयपुर में रोजगार सृजन केंद्र की शुरूआत कर स्वावलम्बी भारत अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर मंच के अखिल भारतीय सह संगठक सतीश कुमार ने कहा कि भारत उद्योगों का देश रहा, अंग्रेजों ने नौकरी की मानसिकता में धकेला, अब फिर से स्वरोजगार से भारत को समृद्ध और शक्तिशाली बनाना होगा।

स्वदेशी जागरण मंच ने देश में स्वरोजगार बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए स्वदेशी जागरण मंच की ओर

से स्वावलम्बी भारत अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत जिलों में रोजगार सृजन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर युवाओं को स्वदेशी और स्वरोजगार के लिए जानकारी दी जाएगी। मंच का मानना है कि देश में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है, इसका निराकरण नौकरियों से नहीं बल्कि स्वरोजगार से हो सकेगा। स्वरोजगार में ही शत–प्रतिशत रोजगार की उपलब्धता है। जयपुर के महेश नगर की बैंक कॉलोनी में भी स्वदेशी जागरण मंच की ओर से रोजगार सजृन केंद्र खोला गया।

रोजगार सजृन केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए श्री सतीश कुमार ने कहा कि भारत में नौकरी और बेरोजगारी नहीं थी, भारत कभी नौकरों का देश नहीं रहा। यहां घर–घर में रोजगार होते थे। नौकरी की मानसिकता अंग्रेजों के समय से हुई। उन्होंने कहा कि नौकरी करने वाला कभी देश को आगे नहीं बढ़ा सकता और उद्यमिता से विकास के द्वार खुलते हैं। भारत की युवा शक्ति देश को विश्व गुरु बनाने में प्रमुख भागीदारी निभाएगी और भारत फिर से दुनिया का सिरमौर बनेगा। भारत में आज 15 से 29 वर्ष की आयु के 37 करोड़ों युवा है जोकि भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में काम करके देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकते हैं।

स्वावलंबी भारत अभियान की अखिल भारतीय सह समन्वयक डॉ अर्चना मीणा ने कहा कि देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी ही युवाओं में भटकाव का कारण है, किंतु उद्यमिता से युवाओं को स्वरोजगार प्रदान कर देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। अभियान में महिलाओं और बालिकाओं को भी जोड़ा जाएगा ताकि स्वरोजगार और उद्यमिता के साथ समृद्ध भारत की ताकत बढ़ सके. स्वरोजगार और उद्यमिता बढ़ने से रोजगार के अवसर तो खुलेंगी ही बस्ती, गांव, राज्य और देश भी समृद्ध होंगे।

इस अवसर पर पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जयपुर महानगर संघ चालक चैन सिंह राजपुरोहित ने स्वावलम्बी भारत अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि अभियान तभी फलीभूत होगा जब प्रत्येक कार्यकर्ता योगदान देगा। समाज के लोग सामूहिक रूप से इस अभियान में जुड़ेंगे तो स्वरोजगार सृजन के ज्यादा अवसर

पैदा होंगे। इस मौके पर स्वयं आत्मनिर्भर बनकर लोगों को अपने स्टार्टअप से रोजगार प्रदान करने वाली रेखा अग्रवाल, लस्सी मेड इन बस्सी के हेमंत शर्मा, रोहित चाय वालज के रोहित शर्मा, विश्वनाथ यादव को सम्मानित किया गया।

https://zeenews.india.com/hindi/india/rajasthan/jaipur/jaipur-news-swadeshi-jagran-manch-opens-employment-generation-center-to-promote-entrepreneurship-among-youth/1502239

'युवा देश की आर्थिक प्रगति के सबसे बड़े इंजन'

भारत के युवा देश की आर्थिक प्रगति के सबसे बड़े इंजन है। हमें अपने युवाओं में कौशल विकास करना है। हरियाणा प्रांत भारत में रोजगार के सृजन करने में मदद करेगा। यह बातें स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक सतीश कुमार ने कहीं।

श्री सतीश कुमार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के गुलजारी लाल नंदा अध्ययन केंद्र में स्वदेशी उद्यमिता दिवस पर (कौशल, उद्यमिता व रोजगार) हरियाणा प्रांत व जिला रोजगार सृजन केंद्र के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कौशल विकास ने रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। स्वरोजगार से हम भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के समाधान का जो मॉडल हरियाणा प्रस्तुत करेगा। वह मॉडल पूरे भारत वर्ष में उदाहरण बनेगा, इसलिए हम पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बेरोजगारी को लेकर सरकार एवं स्वदेशी जागरण मंच जैसी संस्थाओं की ओर से स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार एवं रोजगार सृजन के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। रोजगार सृजन केंद्र रोजगार क्रांति का केंद्र बिंदु है।

इससे पहले सतीश कुमार, सांसद नायब सिंह, थानेसर विधायक सुभाष सुधा, आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बलदेव धीमान, कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा, सुधीर कुमार ने डॉ. मधुर की पुस्तक इंडियन इकोनॉमी का विमोचन भी किया। वहीं स्वावलंबन अभियान के तहत केयू के ललित कला विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

सांसद नायब सिंह ने कहा कि बेरोजगारी देश की गंभीर समस्या है। हर युवा को रोजगार की आवश्यकता है। इस दिशा में सरकार कार्य कर रही है। परंपरागत व्यापार एवं कार्य कौशल को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाना चाहिए। उन्होंने केंद्र को 11 लाख तथा विधायक सुभाष सुधा ने पांच लाख रुपये देने की घोषणा भी की।

कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि युवाओं में स्वदेशी स्वावलंबन का स्वभाव जागृत करना व गरीबी मुक्त एवं सम्पूर्ण रोजगारयुक्त भारत बनाने के लिए हमें धरातल पर कार्य करना होगा और रोजगार केंद्रित शिक्षा एवं नीतियां बनानी होगी। हमारी नीतियों में विद्यार्थियों को रोजगार की वास्तविक स्थिति का पता होना भी जरूरी है। इस मौके पर डॉ. अंकेश्वर प्रकाश, प्रो. ओमप्रकाश अरोड़ा, डॉ. कृष्ण जाटियान, डॉ. दीपक राय बब्बर आदि मौजूद रहे।

इस दौरान लगायी गयी प्रदर्शनी में स्वरोजगार के विभिन्न व्यवसायों को चित्रकला, मूर्तिकला, म्यूरल, छापाकला, छायाचित्रण और व्यावसायिक कला के माध्यम से दर्शा कर आत्मनिर्भरता का संदेश दिया गया। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों द्वारा क्राफ्ट कार्य, पत्थर नक्काशी, मेटल कास्टिंग, पेपर मेकिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, ज्वेलरी आदि हस्तनिर्मित कलाओं का संयोजन कर दर्शकों को आकर्षित किया।

https://www.amarujala.com/haryana/kurukshetra/the-biggest-engine-of-economic-progress-of-the-young-country-kurukshetra-kurukshetra-news-knl130346775

राजकीय महाविद्यालय में जिला रोजगार सृजन केंद्र का शुभारम्भ

राजकीय महाविद्यालय बदायूं (उ.प्र) के राजनीति विज्ञान विभाग में एनएसएस, रोजगार भारती,एवम स्वदेशी जागरण मंच के सहयोग से स्वावलंबी भारत योजना के अंतर्गत जिला रोजगार सृजन केंद्र का शुभारम्भ हुआ। मुख्य अतिथि नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी डॉक्टर दिनेश यादव ने फीता काटकर केन्द्र का उद्घाटन किया।

डॉ यादव ने कहा कि जिला रोजगार सृजन केंद्र की सफलता के लिए हम हर संभव सहयोग का आश्वासन

दिया। उन्होंने कहा कि यह केन्द्र नेहरू युवा केंद्र से जुड़े जनपद के बारह हजार ग्रामीण युवाओं के उज्जवल भविष्य के निर्माण का केंद्र भी सिद्ध होगा। केंद्र के संचालक राजनीति विज्ञान विभाग के प्रभारी डॉ राकेश कुमार जायसवाल ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर युवा का होना आवश्यक है। उन्होंनेन्हों कहा कि रोजगार सृजन का यह केंद्र बदायूं के बेरोजगार युवाओं का मार्गदर्शन करेगा तथा भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं से परिचित करा कर उनको लक्ष्य की दिशा में आ रही बाधाओं को दूर करेगा।

प्राचार्य डॉ श्रद्धा गुप्ता ने कहा कि जिला रोजगार सृजन केंद्र के माध्यम से राजकीय महाविद्यालय को समाज सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है,जिसे हम सभी मिलकर सफल बनाएंगे तथा युवाओं के अंदर उद्यमिता की भावना को जागृत करेंगे। इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉ संजीव राठौर ने कहा कि इग्नू के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल विकास से संबंधित डिप्लोमा और डिग्री कोर्स कराने की सुविधा राजकीय महाविद्यालय में है। केंद्र के व्यवस्थापक मोहित मिश्रा ने सभी के प्रति आभार जताया।

इस अवसर पर नमामि गंगे के जिला परियोजना अधिकारी अनुज प्रताप सिंह, डॉ सचिन राघव, संजीव शाक्य, अभाविप के जिला संयोजक हरिमोहन सिंह पटेल, नन्हे लाल, सुनील कुमार, आर्यन गुप्ता आदि ने सहयोग प्रदान किया।

http://www.badaunexpress.com/badaun-supar/a-35191/

युवाओं को स्वरोजगार के लिए मिलेगा मार्गदर्शनः डॉ. महाजन

स्वावलंबी भारत अभियान के तहत जेएनएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शुजालपुर (भोपाल, म.प्र.) में रोजगार सृजन केंद्र का शुभारंभ करते हुए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा कि उद्यमिता एवं स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए शुरू हुआ यह केंद्र समाज के सहयोग से ही सिद्धि प्राप्त करेगा। डॉ. महाजन ने कहा कि युवाओं में स्वदेशी स्वावलंबन का भाव जागृत कर गरीबी मुक्त तथा संपूर्ण रोजगार युक्त भारत बनाने के लिए हमें जमीन पर काम करना होगा तथा रोजागारोन्मुख शिक्षा एवं नीतियां तैयार करनी होगी। डॉ. महाजन ने विश्वास दिलाया कि केंद्र अपने उद्देश्य में सफल होगा तथा युवाओं को आवश्यक जानकारी से लैस कर उन्हें आगे बढ़ाने में भरपूर सहयोग करेगा।

'भारत में उद्योग अकादमिक नवाचार' विषय पर जेएनएस कॉलेज में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान डॉ. महाजन सहित अनेक देश प्रदेश के जानेमाने अर्थ विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया तथा नवाचार के लिए युवाओं को अपने विचारों से प्रेरित किया।

रोजगार सृजन केंद्र के उद्घाटन कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक डॉ. अश्वनी महाजन के अलावा केशव दुबौलिया (संगठक, म.प्र.), क्षेत्र संयोजक अरूषेंद्र शर्मा, डॉ. के.जी. सुरेश (कुलपति, माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल), प्रांत संयोजक हरिओम वर्मा, जिला समन्वयक हुकुम सिंह धनार, जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष आलोक खन्ना, विभाग सह संयोजक राहुल विश्वकर्मा, जिला संयोजक मुकेश पांचाल सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बड़ी परेशानियों का समाधान है संयुक्त परिवार

स्वदेशी जागरण मंच जमशेदपुर महानगर के द्वारा कदमा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर शास्त्रीनगर में स्वदेशी संकल्पित परिवार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य वक्ता मंच की अखिल भारतीय महिला विभाग की प्रमुख श्रीमती अमिता पतकी एवं मुख्य अतिथि चतरा के सांसद श्री सुनील सिंह उपस्थित रहे। इस आयोजन में खेल प्रतियोगिता एवं परिवार संस्कार एवं संस्कृति पर संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमे लगभग 150 परिवार से 350 लोग सम्मिलित हुए।

मंच की अखिल भारतीय महिला विभाग की प्रमुख श्रीमती अमिता पतकी ने कहा कि यदि समाज मे हम कुछ अच्छा बदलाव चाहते हैं तो उसे हमें अपने घर से शुरू करना होगा। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व मे भारत की भोजन पद्धति सबसे अच्छी है। हमारे घर के किचन में इतनी औषधियाँ उपलब्ध है कि यदि उसकी जानकारी परिवार के सभी लोगों को हो जाये तो घर के सभी सदस्य स्वस्थ रहेंगे और एक स्वस्थ व्यक्ति एक स्वस्थ समाज के गठन में बड़ा योगदान देगा। साथ ही उन्होंने माताओं से आग्रह किया कि बच्चों को किचन में उपलब्ध औषधियाँ जैसे लौंग, अदरक, हल्दी, दालचीनी, सौंफ, ज़ीरा, मेथी आदि के बारे में जरूर बताएं।

उन्होंने बताया कि विदेशी कंपनियों ने हमारे भारत की भोजन पद्धति को अपना कर उसे मुनाफा कमाने का काम कर रही हैं। उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया कि अमेज़न में गोल्डन मिल्क के नाम पर हल्दी वाला दूध 125 ग्राम 450/– में मिल रहा है जो कि हम अपने घर पर उससे 20 गुना कम दाम पर पीते हैं।

चतरा सांसद श्री सुनील सिंह जी ने संयुक्त परिवार की विशेषता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज समाज की एक ज्वलंत मुद्दा है बुरे वक्त में किसी व्यक्ति का अकेला रहना। यदि वो व्यक्ति संयुक्त परिवार रहता तो शायद वो बुरा वक्त का सामना डट कर करता। आज लोग संयुक्त परिवार से अलग होते जा रहे हैं जिसके वजह से वृद्धा आश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है जो कि भारत के भविष्य के लिए घातक है। स्वदेशी जागरण मंच परिवार सम्मेलन के माध्यम से लोगों के बीच मे संयुक्त परिवार की महत्ता को बताने का कार्य कर रहा है।

सम्मेलन में प्रमुख रूप से अखिल भारतीय सह संघर्षवाहिनी प्रमुख श्री बंदे शंकर सिंह जी, खादी ग्रामोद्योग आयोग के पूर्वी भारत के सदस्य श्री मनोज सिंह जी, मधुलिका मेहता, के पी चौधरी, जटा शंकर जी,जे के एम राजू जी, राज कुमार साह, अमित मिश्रा, राजपति देवी, पंकज सिंह, रामानंद लाल, अभिषेक बजाज, गुरजीत सिंह, वंदना साहू, अनिता सिंह, गौरव, रौशन, देवकांत, लोकनाथ, मुकेश, कृष्णा, सत्यनारायण जी, अरविंदर कौर, विजय शंकर सिंह, अरुण सिंह आदि उपस्थित रहे।

डॉक्टरों ने जीएम सरसों को बताया पर्यावरण प्रतिरोधी

देशभर के 100 से अधिक डॉक्टरों ने जीएम सरसों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। डॉक्टरों ने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों डीएमएच–11 और इसकी दो पैतृक वंशावलियां जो हर्बिसाइड ग्लूफ़ोसिनेट–अमोनियम पर्यावरण के लिए प्रतिरोधी हैं। इन्हें पर्यावरण में नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

डॉक्टरों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि इसका उपयोग व्यापक परीक्षण के बाद किया जाता है। व्यक्तिगत पसंद से इसका उपभोग किया जाता है। उन्होंने कहा, "जीएमओ की मध्यस्थता वाली दवाएं पर्यावरण में जीएमओ रिलीज के बिना निहित स्थितियों में तैयार की जाती हैं और इन्हें रोका या वापस बुलाया जा सकता है। फारुख ई. उदवाडिया, रमाकांत देशपांडे, गोपाल काबरा और रूपल एम दलाल ने पत्र पर अपने समर्थन के हस्ताक्षर किए हैं।

उन्होंने पत्र में लिखा कि कृषि और भोजन में जेनेटिक इंजीनियरिंग बेकाबू और अपरिवर्तनीय है, जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित करती है। इसमें जीवित जीवों की खरीद और प्रसार की क्षमता के साथ संशोधित वंशानुगत सामग्री शामिल है, पर्यावरण में जारी होने के बाद जीएम सरसों और ग्लाइफोसेट का उपयोग फैल जाएगा। डॉक्टरों ने पत्र में कहा कि शाकनाशी–सहिष्णु जीएम फसलों के गंभीर नकारात्मक प्रभाव होते हैं इसके बारे में चेतावनी देना हमारी जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने एक स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित होने तक सभी जीएम फसल रिलीज को रोकने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, हम अनुरोध करते हैं कि देश में जीएम एचटी सरसों के आकस्मिक या जानबूझकर प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए सभी डीएमएच –11 सरसों को उखाड़ फेंका जाए। उन्होंने मांग की जीएम फसलों के अवैध प्रसार और शाकनाशी के उपयोग पर तत्काल रोक लगाई जाए।

जीएम प्रौद्योगिकियों में परिणामी पौधे पर वांछित विशेषताओं को प्रदान करने के लिए पौधे के जीनोम में नए डीएनए को सम्मिलित करना शामिल है। जीन एडिटिंग तकनीकों का एक समूह है जो आनुवंशिक सामग्री के विशिष्ट टुकड़ों को स्थानांतरित करके, जोड़कर या हटाकर पौधे के डीएनए को बदल देता है। ❑❑

https://hindi.krishijagran.com/news/doctors-write-letter-to-pm-modi-and-requests-pm-stop-release-of-gm-mustard-into-environment/

स्वावलंबी भारत अभियान

जिला रोजगार सृजन केंद्र

सचित्र झलक

अयोध्या, यू.पी.

धनबाद, झारखंड

दीन्दीगुल, तमिलनाडू (दक्षिण)

जयपुर, राजस्थान

बालेश्वर, उड़ीसा

चैन्नई, तमिलनाडू

बागपत, उत्तर प्रदेश

गुड़गांव, हरियाणा

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 जनवरी 2023
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2021-23
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

स्वावलंबी भारत अभियान

जिला रोजगार सृजन केंद्र

सचित्र झलक

बेमेतरा, छत्तीसगढ़

अदिलाबाद, तेलंगाना

अजमेर, राजस्थान

हरिद्वार, उत्तराखंड

हिम्मत नगर, गुजरात

दक्षिणी कमरूप, असम

सिपाहीझोला, त्रिपुरा

केरल

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती